दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 27 फरवरी, 2023

इस मामले में:

रि.या.(सि) 11011/2022 एवं सि.वि.आ. 32617/2022

हर्ष अजय सिंह .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 11012/2022

रविंदर सिंह शेखावत .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 11013/2022

मनोहर लाल शर्मा .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ ..... प्रत्यर्थी

रि.या.(सि) 11904/2022

कर्नल अमित कुमार .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ .....प्रत्यर्थी

रि.या.(सि) 14596/2022

राहुल आर व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 10023/2022 एवं सि.वि.आ. 29204/2022, 32007/2022, 45527/2022

अनुभव मिश्रा व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 10231/2022 एवं सि.वि.आ. 29537/2022

रामअवतार जाट व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 10386/2022

योगेश व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 10422/2022 एवं सि.वि.आ. 30064/2022, 30065/2022

गोपाल कृष्ण व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ और अन्य के माध्यम से रक्षा सचिव,

रक्षा विभाग व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 10748/2022 एवं सि.वि.आ. 31234/2022

महिपाल मुंड व अन्य ....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 10856/2022 एवं सि.वि.आ. 31580/2022

राहुल ....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>रि.या.(सि) 10887/2022 एवं सि.वि.आ. 31681/2022</u>

अश्विनी शर्मा ....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>रि.या.(सि) 11014/2022 एवं सि.वि.आ. 32618/2022, 32619/2022</u>

योगेश .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>रि.या.(सि) 12034/2022 एवं सि.वि.आ. 35984/2022</u>

नरपत राम व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>रि.या.(सि) 13910/2022</u>

असरीद वि. व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 13911/2022

नंदू कृष्णन आर. व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या. (सि) 13912/2022

जितिन पी.जे. व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 13913/2022

हर्ष एच.एस. व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 15171/2022

असिलराज ए. व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 15174/2022

अमलदेव आर.एस. व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 15319/2022

मोहम्मद समीर व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 17302/2022 एवं सि.वि.आ. 55037/2022

विंग कमांडर प्रदीप कुमार एस पिल्लई (सेवानिवृत्त) .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि) 16695/2022

एबीमन वर्गीज व अन्य .....याचीगण

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>उपस्थिति का ज्ञापन</u>

<u>याचीगण हेतु</u>

रि.या.(सि) 10023/2022 में अधिवक्तागण श्री प्रशांत भूषण, सुश्री एलिस राज, सुश्री सुरूर मंदर

रि.या.(सि) सं. 13910/2022, 13911/2022, 13913/2022, 15171/2022, 15174/2022 में अधिवक्तागण श्री के.एन. जयशंकर, सुश्री बीना नायर

रि.या.(सि) 10887/2022 में अधिवक्तागण श्री आशीष मोहन, श्री समर्थ चौधरी सुश्री छवि यादव, श्री अजीत कक्कड़, अधिवक्ता

श्री अरुणव मुखर्जी, रि.या.(सि) 10422/2022 में अधिवक्ता

सुश्री कुमुद लता दास, श्री मनोज सिंह, श्री मनोज माहौर, श्री हर्ष अजय सिंह, रि.या.(सि) 11011/2022 एवं रि.या.(सि) 11014/2022 में अधिवक्तागण

श्री अंकुर छिब्बर, श्री एच.एस. तिवारी, श्री अंशुमन मेहरोत्रा, श्री निकुंज अरोड़ा, रि.या.(सि) 10231/2022 एवं रि.या.(सि) 10748/2022 में अधिवक्तागण

श्री दिनेश कुमार गोस्वामी वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री रोहित पांडे, श्री वैभव माहेश्वरी, श्री वरद द्विवेदी, सुश्री मुनीशा आनंद, श्री अध्यम गुप्ता, सुश्री निशा ठाकुर, रि.या.(सि) 11012/2022 में अधिवक्तागण

श्री मनोहर लाल शर्मा, सुश्री सुमन, रि.या.(सि) 11013/2022 में अधिवक्तागण,

श्री डी.के. गर्ग, श्री अभिषेक गर्ग, श्री धनंजय गर्ग, श्री ईशान तिवारी, रि.या.(सि) 12034/2022 में अधिवक्तागण

श्री राम नरेश यादव, रि.या.(सि) 11364/2022 में अधिवक्ता

श्री कमल कपूर, रि.या.(सि) 14509/2022 में अधिवक्ता।

श्री गौतम धमीजा, सुश्री दानिया नय्यर, श्री तेजस्वी भानू, अधिवक्तागण

श्री विरेंद्र रावत, रि.या.(सि) 14596/2022 में अधिवक्ता

श्री कृष्णमोहन मेनन, सुश्री दानिया नय्यर, श्री गौतम धमीजा, श्री चैतन्यशील प्रियदर्शी, सुश्री तेजस्वी भानू, सुश्री पारुल सचदेवा, सुश्री सलोनी शर्मा एवं श्री सुमित कुलकर्णी, अधिवक्तागण

श्री विजय सिंह, श्री पवन कुमार नादिया, श्री सुमन सहारन, श्री अनुज शर्मा एवं श्री दिवेश गुप्ता, रि.या.(सि) सं. 10856/2022 में याचीगण के अधिवक्तागण।

विंग कमांडर प्रदीप कुमार एस. पिल्लई (सेवानिवृत्त)- रि.या.(सि) 17302/2022 में स्वयं

श्री बी. अलूर एवं श्री सतीश के.आर., रि.या.(सि) 16695/2022 में अधिवक्तागण

<u>प्रत्यर्थीगण हेतु</u>

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त महा-सॉलिसिटर एवं श्री चेतन शर्मा अतिरिक्त महा-सॉलिसिटर के साथ श्री अनुराग अहलूवालिया, सीजीएससी, श्री हरीश वैद्यनाथन, सीजीएससी, श्री कीर्तिमान सिंह, सीजीएससी, श्री अमित गुप्ता, श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री चैतन्य पुरी, सुश्री संजना नांगिया, श्री सौरभ त्रिपाठी, सुश्री कुंजाला भारद्वाज, श्री सौरभ त्रिपाठी, श्री माधव बजाज, श्री वाइज़ अली, श्री ऋषभ दुबे, श्री दानिश फराज़ खान, श्री सागर महलावत, श्री मानवेंद्र सिंह, श्री अभिजीत सिंह, श्री अमन शर्मा, श्री रुस्तम सिंह चौहान, सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री बी.एल.एन. शिवानी, श्री विधि जैन, सुश्री दुर्गेशनंदिनी, श्री राहुल शर्मा, श्री प्रशांत सिंह, श्री एलेग्जेंडर मथाई पाईकड़े, सुश्री ऐश्वर्य मिश्रा एवं श्री आदित्य सिंह

चौहान, श्री नितिनज्या चौधरी, श्री सागर महलावत एवं श्री अमन शर्मा, सभी मामलों में कर्नल गुरप्रीत कौर दयाल, मेजर पार्थो कात्यायन, मेजर स्टीव बैरेटो, लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रांत सिंह, विंग कमांडर विशाल चोपड़ा एवं कैप्टन सिरधर जयशंकर सहित अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमोणियम प्रसाद

निर्णय

मुख्य न्या. सतीश चंद्र शर्मा

1. 21 रिट याचिकाओं का एक समूह, रि.या.(सि) संख्याएँ 10023/2022, 10231/2022, 10386/2022, 10422/2022, 10748/2022, 10856/2022, 10887/2022, 11011/2022, 11012/2022, 11013/2022, 11014/2022 11904/2022, 12034/2022, 13910/2022, 13911/2022, 13912/2022, 13913/2022, 14596/2022, 15171/2022, 15174/2022 एवं 15319/2022 समान रूप से सुनी गई थी तथा दिनांक 15.12.2022 को सुरक्षित की गई थी। इसके बाद, रि.या.(सि) 17302/2022 दिनांक 19.12.2022 को सुनवाई हेतु आई तथा इस पर सुनवाई की गई एवं निर्णय हेतु सुरक्षित रखा गया। रि.या.(सि) 16695/2022 को एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय से स्थानांतरण पर प्राप्त किया गया था तथा दिनांक 19.12.2022 को सुनवाई हेतु आई थी तथा उस तिथि पर याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था तथा मामले

को दिनांक 17.02.2023 को स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 17.02.2023 को मामले की सुनवाई की गई तथा निर्णय हेतु सुरक्षित रखा गया।

2. जबकि कुछ रिट याचिकाएं अग्निपथ योजना (इसके बाद 'आक्षेपित योजना' के रूप में संदर्भित) की संवैधानिक वैधता *को चुनौती देती* हैं, अन्य में, याचीगण की शिकायत यह है कि वे सशस्त्र बलों हेतु भर्ती प्रक्रिया द्वारा गुजरें जो आक्षेपित योजना से पहले प्रचलित थी। यह कहा गया है कि उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है लेकिन आक्षेपित योजना के कारण नियुक्त नहीं किया गया तथा इस प्रकार उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कुछ रिट याचीगण ने योजना एवं आक्षेपित योजना के प्रारंभ से उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए, इस निर्णय को दो भागों में विभाजित किया गया है - भाग क आक्षेपित योजना की वैधता से संबंधित है और भाग ख याचीगण की शिकायतों से संबंधित है कि आक्षेपित योजना ने उनके अधिकारों को छीन लिया है क्योंकि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है तथा उनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट किया गया है लेकिन आक्षेपित योजना के कारण नियुक्त नहीं किया गया है।

<u>भाग-क : योजना तथ्यों की संवैधानिक वैधता</u>

3. रक्षा मंत्रालय, भारत संघ ने चार साल की अवधि के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना (इसके बाद "भारतीय सशस्त्र बलों" के रूप में संदर्भित) के लिए अधिकृत अधिकारियों *के पद से नीचे के* कर्मियों की

भर्ती हेतु एक योजना शुरू की। भर्ती किए गए सैनिकों को "अग्निवीर" नाम दिया गया है। इस योजना के अनुसार, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति अग्निवीर के रूप में भर्ती हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। भर्ती होने पर ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा तथा वे साढ़े तीन साल की अवधि हेतु सक्रिय सेवा में रहेंगे तथा उसके बाद ऐसे अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत को स्थायी कमीशन के तहत सैनिकों के रूप में रखा जाएगा एवं बाकी अग्निवीरों को सामान्य जीवन में लौटने की अनुमति दी जाएगी। योजना के अनुसार, अग्निवीरों को शुरुआत में प्रतिवर्ष लगभग 4.76 लाख रुपए का वेतन दिया जायेगा, जिसे उनकी सेवा के चौथे वर्ष तक लगभग 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में, अग्निवीरों को लगभग 48 लाख रुपए का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर, सेवा के दौरान मृत्यु के लिए 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि तथा चार साल की सेवा के अप्रतिभूत हिस्से हेतु वेतन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। चार साल के कार्यकाल के अंत में, प्रत्येक अग्निवीर लगभग 11 लाख रुपए की राशि के साथ सेवा छोड़ेगा। जिन अग्निवीरों को सेना में नहीं रखा गया है, उनमें से कई को अर्धसैनिक बलों में शामिल किया जाएगा। जिन अग्निवीरों को नहीं रखा गया है, उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के अनुभव का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी पाने में सुविधा होगी।

<u>याचीगण द्वारा दिए गए तर्क</u>

4. रि.या.(सि) 110011/2022 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री कुमुद लता दास का तर्क है कि सशस्त्र बलों में सेवा करने का शारीरिक एवं मनोसामाजिक अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय परिवेश में साढ़े तीन साल की अवधि बहुत कम है। वह प्रस्तुत करती है कि योजना के अनुसार अग्निवीरों को कोई पेंशन प्रदान नहीं की जाएगी जो अन्य देशों की योजनाओं के विपरीत है जिसके बाद आक्षेपित योजना बनाई गई है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि जीवन बीमा कवर, जैसा कि आक्षेपित योजना के तहत परिकल्पित है, एक नियमित सैनिक की तुलना में कम है।

5. सुश्री दास ने अन्य देशों के सशस्त्र बलों द्वारा शुरू की गई अन्य तुलनीय योजनाओं के साथ आक्षेपित योजना की तुलना करते हुए विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया है, ताकि यह उजागर किया जा सके कि हालांकि आक्षेपित योजना ऐसी योजनाओं पर बनाई गई है, लेकिन यह सैनिकों को समान लाभ नहीं देती है। इन प्रस्तुतियों के आलोक में, यह प्रार्थना की जाती है कि आक्षेपित योजना पर पुनर्विचार करने के लिए संघ को निर्देश जारी किए जाएं।

6. रि.या.(सि) 11012/2022 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आक्षेपित योजना भेदभावपूर्ण और मनमानी है तथा इसे अपास्त किया जाना चाहिए। सुश्री दास द्वारा उठाए गए आधारों के अलावा 4 साल की अवधि के बाद

अग्निवीरों के रोजगार के प्रावधानों की कमी के संबंध में एक अतिरिक्त आधार उठाया गया है। उनका तर्क है कि सौहार्द की भावना एक सैनिक को दूसरे की जान बचाने हेतु अपनी जान जोखिम में डालने के लिए प्रेरित करती है और यह एक कुशल सेना की पहचान है। उनका तर्क है कि सैनिकों के बीच सौहार्द की ऐसी भावना पैदा करने के लिए चार साल की अवधि पर्याप्त नहीं है। यह कहा गया है कि यदि भर्ती किए गए अग्निवीरों को सौहार्द की भावना या दूसरे सैनिक के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने की प्रेरणा के बिना अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जाएगा तो इससे भारतीय सेना का मनोबल एवं चरित्र प्रभावित होगा। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि 75% अग्निवीर जिन्हें नियमित सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा वे वैकल्पिक रोजगार पाने की स्थिति में नहीं होंगे तथा इस बात की बड़ी संभावना है कि हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये युवा भटक सकते हैं तथा देश में कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। रि.या.(सि) 11013/2022, रि.या.(सि) 11904/2022, तथा रि.या.(सि) 14596/2022 में याचीगण ने आक्षेपित योजना की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कोई अतिरिक्त आधार नहीं उठाया है।

<u>प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए तर्क</u>

7. *इसके विपरीत*, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अति.महा.सा., का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा अपने संप्रभु दायित्वों का

निर्वहन करने में लिया गया एक नीतिगत निर्णय है तथा इसलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है। सुश्री भाटी का कहना है कि आक्षेपित योजना सीमा की असाधारण स्थिति तथा शत्रु पड़ोसी देशों द्वारा भारत की सीमा में घुसपैठ की लगातार धमकियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। हमारे देश के भूभाग की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं, दलदल, जंगल, रेगिस्तान, नदी तथा हिमाच्छादित क्षेत्र के साथ ही अलग-अलग पृथक द्वीप क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए, भूभाग अप्रत्याशित तथा विषम है, जिससे सशस्त्र बलों सहित एक सैनिक का कार्य और भी कठिन हो जाता है। इसके आलोक में, सरकार को अधिक युवा, चुस्त एवं शारीरिक रूप से दुरूस्त सशस्त्र बल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जो ऐसे इलाकों में निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो। विद्वान अति.महा.सा. ने इस आवश्यकता को सिद्ध करने हेतु अभिलेख पर आंकड़े भी रखे हैं। वह बताती हैं कि विश्लेषण करने पर यह पता चला कि सशस्त्र बलों के अधिकारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, जबकि वैश्विक औसत 26 वर्ष थी। इसलिए, आक्षेपित योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य अग्निवीरों के रूप में 18-25 वर्ष की आयु के बीच के युवा जवानों, नाविकों या वायु सैनिकों का एक सैन्य दल होना चाहिए, जिसकी देखरेख अनुभवी नियमित कैडर कर्मियों द्वारा की जाती है।

8. सुश्री भाटी ने यह भी दलील दी कि आक्षेपित योजना कारगिल पुनर्विलोकन समिति जैसे विभिन्न अध्ययनों तथा विचार-विमर्श का परिणाम है, जिसने 15 से 20 वर्षों की मौजूदा संरचना के विपरीत कम समय के लिए सैनिकों को सेवा में रखने का प्रस्ताव दिया था। इसके कारण, अल्पकालिक सैन्य भागीदारी की दक्षता एवं संगठनात्मक लाभों का विश्लेषण करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा तथा फ्रांस के सैन्य प्रवेश एवं प्रतिधारण मॉडल पर विचार किया गया।

9. याचिकाकर्ताओं तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

<u>विश्लेषण</u>

10. इस न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, याचीगण ने आक्षेपित योजना पर पुनर्विचार करने या इसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करने के निर्देश देने की प्रार्थना की है।

11. अभिलेख पर सामग्री दर्शाती है कि भारतीय युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने में सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जून 2022 को आक्षेपित योजना की घोषणा की गई थी। ऐसा कहा गया है कि अग्निवीर भारतीय सशस्त्र बलों में एक अलग स्थान बनाते हैं,

जो किसी भी अन्य मौजूदा स्थान से अलग है तथा अपनी अनुबंध की अवधि पूरी करने पर, अग्निवीरों को एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा तथा प्रत्येक बैच के 25% अग्निवीरों को नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा तथा शेष 75% नागरिक जीवन-यापन हेतु प्रस्थान कर जायेंगे।

12. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि चार साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करने हेतु भारतीय सेना में उनके ट्रेड के अनुसार कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उदाहरणार्थ, बख्तरबंद कोर में चालक के रूप में काम करने वाले तथा लड़ाकू वाहन या यांत्रिक परिवहन वाहन चलाने वाले व्यक्ति को चालक-सह-यांत्रिक प्रमाणपत्र दिया जाएगा; संचालक अग्नि नियंत्रक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति या पैदल सेना में सामान्य ड्यूटी करने वाले व्यक्ति को जिम असिस्टेंट, वेयरहाउस पैकर, सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फायरमैन, आदि के प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे; इसी प्रकार, तोपखाने में तोपची के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को फायर टेक तथा सुरक्षा प्रबंधक, फायरमैन, सर्वेक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

13. अभिलेख पर मौजूद सामग्री यह भी दर्शाती है कि आक्षेपित योजना कई देशों के सैन्य 'अंतर्ग्रहण एवं प्रतिधारण' मॉडल का अध्ययन करने के बाद बनाई गई

है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अधिकांश देशों के पास अपनी सेना है एवं सशस्त्र बलों में नामांकन हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धति एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार की भर्ती स्वैच्छिक भर्ती है जहां नागरिक अपने नियोक्ता के रूप में सेना को चुनते हैं तथा अपने देश को अपनी नौकरी या करियर के रूप में सेवा देते हैं, और अनिवार्य सेवा जहां निश्चित आयु के नागरिकों को एक वर्ष से पांच वर्ष तक की न्यूनतम अवधि के लिए अनिवार्य रूप से अपने देश की सेवा करनी होगी। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, एक मॉडल जिसमें युवाओं द्वारा समर्थित परिचालन एवं तकनीकी कौशल और एक सुव्यवस्थित समर्थन संवर्ग के साथ अच्छी तरह से अनुभवी स्थायी कैडर शामिल है, भारत सरकार द्वारा आक्षेपित योजना की परिकल्पना की गई है।

14. नीतिगत निर्णयों की पुनर्विलोकन करने की इस न्यायालय की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, विशेष रूप से वे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित हैं। इस संबंध में बढ़ते न्यायशास्त्र को शामिल किए बिना, यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित मौजूद मानकों का पालन करेगा।

15. मामलों की श्रृंखला में यह तय किया गया है कि इस न्यायालय को दिये गये न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सरकार के नीतिगत निर्णयों पर अत्यधिक

सवाल उठाने तक विस्तारित नहीं है, जब तक कि वे मनमाने, भेदभावपूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित न हों। उडीसा राज्य बनाम गोपीनाथ दास, **(2005) 13 एससीसी 495** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"7. नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह सभी बिंदुओं पर अलग-अलग दृष्टिकोण से विचार करने के बाद कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए, यह अपना सकती है। नीतिगत निर्णयों या सरकार द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में जब तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं दिखाया जाता है तब तक न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा तथा न्यायालय ऐसे मामलों में कार्यपालिका के निर्णय के स्थान पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा और न ही करना चाहिए। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही सरकार की ओर से दूसरा दृष्टिकोण ही संभव क्यों न हो।*
>
> *5. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी नहीं है तथा संविधान न्यायालय को नीति के मामले में कार्यपालिका को निर्देश देने या सलाह देने या किसी भी मामले में उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है जो संविधान के तहत विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, बशर्ते ये अधिकारी अपनी संवैधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्ति का उल्लंघन न करें। (आसिफ हमीद बनाम*

जम्मू-कश्मीर राज्य [1989 पूरक (2) एससीसी 364 : एआईआर 1989 एससी 1899] तथा श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1990) 3 एससीसी 223 : एआईआर 1990 एससी 1277]) न्यायिक जांच का दायरा इस प्रश्न तक सीमित है कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसी वैधानिक प्रावधान के खिलाफ है या यह नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है या संविधान के प्रावधानों के विपरीत है या नहीं है। इस प्रकार, स्थिति यह है कि भले ही सरकार द्वारा लिया गया निर्णय न्यायालय को मंजूर न हो, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती।"

16. <u>जनहित याचिका केंद्र बनाम भारत संघ,</u> **(2016) 6 एससीसी 408** मामले में सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें याचिकाकर्ता ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को वॉयस टेलीफोनी की अनुमति देने के भारत सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी, ने इस संबंध में सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है :-

***"22.** सरकारी नीति के न्यायिक पुनर्विलोकन के निर्वहन में, न्यायालयों द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जब उक्त नीति संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञों के विचार-विमर्श का परिणाम होती है क्योंकि न्यायालय ऐसे डोमेन को समझने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं जिसे निष्पादन के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ [नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, (2000) 10 एससीसी 664] में सुव्यवस्थित ढंग से*

समझाया गया था तथा फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ [फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2003) 4 एससीसी 289] में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था: (एससीसी पृष्ठ 289, पैरा 12)

"12. इस प्रकार के प्रश्न की जांच करते समय जहां कोई नीति सरकार द्वारा विकसित की जाती है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन सीमित होता है। जब नीति जिसके अनुसार या जिस उद्देश्य हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना है, उसे विधि में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, तो इसे अप्रतिबंधित विवेकाधिकार नहीं कहा जा सकता है। नीति को प्रभावित करने वाले तथा तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले मामलों पर न्यायालय मामले को उन लोगों के निर्णय के लिए छोड़ देगी जो मुद्दों को संबोधित करने के लिए योग्य हैं। जब तक नीति या कार्रवाई संविधान तथा कानूनों के साथ असंगत न हो या मनमाना या तर्कहीन या शक्ति का दुरुपयोग न हो, न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

XXX

***26.** इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रशासनिक कार्रवाई के न्यायिक पुनर्विलोकन का प्राथमिक एवं केंद्रीय उद्देश्य सुप्रशासन को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक निकाय जनता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए कुशलतापूर्वक*

तथा ईमानदारी से कार्य करे एवं उनके सार्वजनिक हित को सर्वप्रथम रखते हुए ईमानदारी, पारदर्शिता एवं निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपरोक्त प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, इस न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की रूपरेखा में नए आयाम जोड़े हैं तथा हाल के वर्षों में इसमें बड़ा बदलाव आया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा मौलिक रूप से विस्तारित हो गया है तथा अब यह सरकार की बदलती संरचना के उत्तर में "लोक" शक्ति के विविध रूपों को शामिल करने के लिए वैधानिक शक्तियों के क्षेत्र से काफी आगे बढ़ चुका है [[देखें : प्रशासनिक विधि: पाठ एवं सामग्री (चौथा संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2011) बीटसन, मैथ्यूज एवं इलियट द्वारा]]। इस प्रकार, न केवल न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा व्यापक हो जाता है; इसकी प्रबलता भी बढ़ जाती है। बावजूद इसके,

हालांकि, "यह न्यायिक पुनर्विलोकन की प्राप्त धारणाओं का केंद्र है कि न्यायालय विवेक के प्रयोग में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे आक्षेपित निर्णय या कार्रवाई से असहमत हैं; इसके बजाय, न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करती हैं जब कुछ विशिष्ट त्रुटि हो जाती है - उदाहरणार्थ, पारित किया गया निर्णय प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित है [पूर्वोक्त।]"।

***27.** विवेकाधीन शक्ति का मुख्य प्रयोजन यह है कि यह निर्णय लेने वाले को किसी विशेष स्थिति की मांगों पर उचित प्रतिक्रिया*

देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब निर्णय लेना नीति-आधारित होता है, तो ऐसे निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने का न्यायिक दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। ऐसे मामलों में, सबसे पहले, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या आक्षेपित नीति किसी वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है या भेदभावपूर्ण/मनमानी है या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है। यदि विशेष नीति इन मापदंडों को पूरा करती है तथा वैध मानी जाती है, तो जांच किये जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित निर्णय उक्त नीति के अनुरूप है।"

17. हाल ही में, नीतिगत निर्णयों में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित विधि को महाराष्ट्र राज्य बनाम भगवान, **(2022) 4 एससीसी 193** मामले में निम्नलिखित प्रकार से दोहराया गया है:-

"28. विधि की स्थापित प्रतिपादना के अनुसार, न्यायालय को नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जिसका व्यापक प्रभाव हो सकता है और वित्तीय निहितार्थ हो सकते हैं। कर्मचारियों को कुछ लाभ देना है या नहीं, यह विशेषज्ञ समूह और उपक्रमों पर छोड़ दिया जाना चाहिए तथा न्यायालय किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कुछ लाभ देने से व्यापक प्रभाव पड़ सकता है जिसके प्रतिकूल वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।"

18. यह उभर कर सामने आता है कि ऐसे कई मामले हैं जिन्होंने मूल सिद्धांत को दोहराया है: जब तक सरकार द्वारा लिया गया कोई नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित या मनमाना न हो या यदि वह भेदभाव के दोष से ग्रसित हो या संविधान के किसी विधि या प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो इस न्यायालय को ऐसे नीतिगत निर्णय के औचित्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यह न्यायालय इस बात पर विचार नहीं करता है कि सरकार द्वारा अधिक व्यापक निर्णय लिया जा सकता था, क्योंकि इस न्यायालय को विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय का अनुरोध करना चाहिए [संदर्भ: कृष्णन कक्कंथ बनाम केरल सरकार, **(1997) 9 एससीसी 495;** भारतीय खाद्य निगम बनाम भानु लोध, **(2005) 3 एससीसी 618;** उडीसा सरकार बनाम हरप्रसाद दास, **(1998) 1 एससीसी 487;** उड़ीसा राज्य बनाम भिखारी चरण खुंटिया, **(2003) 10 एससीसी 144** दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बनाम डायरेक्टर ऑफ़ हेल्थ सर्विस, **(1997) 11 एससीसी 687)]।**

19. न्यायिक हस्तक्षेप का यह दायरा तब और सीमित हो जाता है जब योजना या नीतिगत निर्णय हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। एक्स-आर्मी मैन प्रोटेक्शन सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड बनाम भारत संघ, **(2014) 5 एससीसी 409** मामले में शीर्ष न्यायालय ने यहां तक कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में क्या योग्य है, यह विधि का प्रश्न नहीं है बल्कि यह नीति का प्रश्न है, जिसका

निर्धारण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है जिसे ऐसे मामले सौंपे गए हैं। उपरोक्त कहने के बाद, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान मुद्दा, अर्थात् सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती, निश्चित रूप से 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के दायरे में आने के योग्य है।

20. इस न्यायालय ने सबसे पहले सिविल सेवा संघ परिषद व अन्य बनाम सिविल सेवा मंत्री, 1984 3 डब्लूएलआर 1174, मामले पर ध्यान दिया है। जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के मुद्दों के कारण सरकारी संचार मुख्यालय के कर्मचारियों को किसी भी ट्रेड यूनियन में शामिल होने से प्रतिबंधित करने पर यूनाइटेड किंगडम सरकार के निर्णय के औचित्य पर निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आम तौर पर शाही विशेषाधिकारों की न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति देते हुए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के लिए एक अपवाद बनाया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सरकार के विचारों पर अपील करने के लिए न्यायालय अयोग्य हैं। इस संबंध में निम्नलिखित पाया गया है:-

> *"प्रश्न साक्ष्यों में से एक है। किसी विशेष मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएँ निष्पक्षता के कर्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण हैं या नहीं, यह सरकार का निर्णय है, न कि न्यायालयों का; केवल सरकार के पास ही आवश्यक जानकारी की पहुंच है, तथा किसी भी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रीय*

सुरक्षा पर निर्णय तक पहुंचने के लिए अनुपयुक्त है। यदि निर्णय को इस आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती दी जाती है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया गया है जो अनुचित है, तो सरकार साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य है कि निर्णय का वास्तविक आधार राष्ट्रीय सुरक्षा पर था। इन दोनों बिंदुओं का अधिकार द ज़मोरा (1916] 2 ए.सी. 77) मामले में पाया जाता है। वैडिंगटन के पृष्ठ सं. 107 पर लॉर्ड पार्कर द्वारा दी गई न्यायिक समिति की सलाह के प्रसिद्ध अंश में पूर्व बिंदु पर चर्चा की गई है: "जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के लिए एकमात्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अवांछनीय होगा कि ऐसे मामलों को न्यायालय में साक्ष्य का विषय बनाया जाए या अन्यथा सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए।"

21. सीधे तौर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में कई आधिकारिक घोषणाएं की गई हैं। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार मामले में, **(2003) 4 एससीसी 579**, शीर्ष न्यायालय ने उन मामलों की श्रेणियों पर लागू होने वाले "प्रतिरक्षा के सिद्धांत" का उल्लेख किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ सैनिकों की तैनाती से संबंधित है। इस संबंध में शीर्ष न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

*"**14.** न्यायिक राय की वर्तमान प्रवृत्ति न्यायिक पुनर्विलोकन से प्रतिरक्षा के सिद्धांत को उन मामलों के वर्ग तक सीमित करना है जो सैनिकों की तैनाती, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में प्रवेश आदि से संबंधित हैं। इनमें से कुछ हालिया मामलों की विशिष्ट विशेषताएं तथ्यात्मक आधार पर जांच करने की अपनी शक्ति का दावा करने की न्यायालयों की इच्छाओं को दर्शाता है, जिस पर विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया गया है... **क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर कई निर्णयों के प्रभाव को ग्राहम एल्डस एवं जॉन एल्डर ने अपनी पुस्तक एप्लीकेशन फॉर ज्यूडिशियल रिव्यू, लॉ एंड प्रैक्टिस में इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है:***

*"न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटाने के खिलाफ एक सामान्य धारणा है ताकि न्यायिक पुनर्विलोकन को बाहर करने वाले वैधानिक प्रावधानों को प्रतिबंधात्मक रूप से समझा जाए। **हालांकि, सरकारी गतिविधि के कुछ क्षेत्र हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान है, जिसकी जांच करने में न्यायालय स्वयं को अक्षम मानता है, यह प्रारंभिक निर्णय से परे है कि सरकार का दावा वास्तविक है या नहीं। इस प्रकार के गैर-न्यायसंगत क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन यह बहुत सीमित है।** यह भी कहा गया है कि शाही विशेषाधिकार द्वारा प्रदत्त शक्तियां स्वाभाविक रूप से पुनर्विलोकन योग्य नहीं हैं लेकिन सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, [(1984) 3 ऑल ईआर 935 : 1985 एसी 374 : (1984) 3 डब्लूएलआर 1174 (एचएल)] मामले में हाउस*

ऑफ लॉर्ड्स के भाषणों के बाद से यह संदिग्ध है। लॉर्ड्स डिप्लॉक, स्कारमैन और रोस्किल इस बात पर सहमत है कि शक्तियों के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है, यह इस पर आधारित है कि उनका स्रोत वैधानिक या विशेषाधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन को किसी विशेष शक्ति के विषय-वस्तु द्वारा सीमित किया जा सकता है। ***कई विशेषाधिकार शक्तियां वास्तव में संवेदनशील, गैर-न्यायसंगत क्षेत्रों से संबंधित है, उदाहरण के लिए, विदेशी मामले, लेकिन कुछ सैद्धांतिक रूप से पुनर्विलोकन योग्य हैं, जिनमें सिविल सेवा से संबंधित विशेषाधिकार भी शामिल हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है।*** *एक और गैर-न्यायसंगत शक्ति महान्यायवादी का यह निर्णय लेने का विशेषाधिकार है कि सार्वजनिक हित की ओर से विधिक कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं।"*

(पैडफील्ड बनाम कृषि, मत्स्य पालन व खाद्य मंत्री [1968 एसी 997 : (1968) 1 ऑल ईआर 694 : (1968) 2 डब्ल्यूएलआर 924] मामला देखें।)"

(जोर दिया गया)

22. हाल ही में, मनोहर लाल शर्मा बनाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी, **(2019) 3 एससीसी 25,** जो भारत सरकार द्वारा विमानों की खरीद से संबंधित है, जिसे आम बोलचाल में राफेल समझौता कहा जाता है, में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि

न्यायिक पुनर्विलोकन के मानदंड राज्य द्वारा किए गए कार्य की संवेदनशील प्रकृति के कारण, रक्षा खरीद से संबंधित मामलों में संकीर्ण है। शीर्ष न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पाया गया है:-

"6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले, रक्षा खरीद से संबंधित सरकारी निर्णयों की न्यायिक संवीक्षा के मापदंडों को निर्धारित करना और यह इंगित करने के लिए कि क्या ऐसे मापदंड आज तक सामने आए निविदाओं एवं अनुबंधों के निर्णय की न्यायिक संवीक्षा के न्यायशास्त्र की तुलना में अधिक सीमित हैं, जो वैध रूप से अनुमति देगा।

XXX

9. हम इस मुद्दों में संबंधित निविदा को भी नहीं भूल सकते हैं। यह निविदा सड़कों, पुलों आदि के निर्माण के लिए नहीं है। यह विमानों की खरीद के लिए एक रक्षा निविदा है। खरीद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संवीक्षा का मानदंड सरकार को कहीं अधिक छूट देगा। सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स (प्रा) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स (प्रा) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2008) 16 एससीसी 215] मामले में भी इस पहलू पर जोर दिया गया था। जिन तीन आधारों पर ऐसी न्यायिक संवीक्षा

की अनुमति है, उन्हें लगातार "अवैधता", "तर्कहीनता" एवं "प्रक्रियात्मक अनौचित्य" माना गया है।

10. रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स (प्रा) लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण [रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स (प्रा) लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, (2006) 10 एससीसी 1] दो हवाई अड्डों के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय संपतियों के निजीकरण की नीति संवीक्षा के दायरे में आ गई थी। उक्त मामले में (एससीसी पृष्ठ 49, पैरा 57 पर) ग्राहम एल्डस और जॉन एल्डर की पुस्तक एप्लीकेशन फॉर ज्यूडिशियल रिव्यू, लॉ एंड प्रैक्टिस में की गई टिप्पणी का संदर्भ दिया गया था :

> *"57. ... "न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटाने के खिलाफ एक सामान्य धारणा है ताकि न्यायिक पुनर्विलोकन को बाहर करने वाले वैधानिक प्रावधानों को प्रतिबंधात्मक रूप से समझा जाए। हालांकि, सरकारी गतिविधि के कुछ क्षेत्र हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान है, जिसकी जांच करने में न्यायालय स्वयं को अक्षम मानती है, यह प्रारंभिक निर्णय से परे है कि सरकार का दावा वास्तविक है या नहीं। इस प्रकार के गैर-न्यायसंगत क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है लेकिन बहुत सीमित कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि शाही विशेषाधिकार द्वारा प्रदत्त शक्तियां स्वाभाविक रूप से पुनर्विलोकन योग्य नहीं हैं लेकिन काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनीस्टर फॉर द सिविल सर्विस [काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस बनाम मिनीस्टर फॉर द सिविल सर्विस 1985 एसी 374 : (1984) 3 डब्लूएलआर 1174 (एचएल)]*

मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भाषणों के बाद से यह संदिग्ध है। लॉर्ड्स डिप्लॉक, स्कामैन और रोस्किली (अपठनीय) [जिसे "रोस्किल" के रूप में पढ़ा जाये।] इस बात पर सहमत है कि शक्तियों के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है, यह इस पर आधारित है कि उनका स्रोत वैधानिक या विशेषाधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में न्यायिक समीक्षा को किसी विशेष शक्ति के विषय-वस्तु द्वारा सीमित किया जा सकता है। कई विशेषाधिकार शक्तियां वास्तव में संवेदनशील, गैर-न्यायसंगत क्षेत्रों से संबंधित है, उदाहरण के लिए, विदेशी मामले, लेकिन कुछ सैद्धांतिक रूप से पुनर्वलोकन योग्य हैं, जिनमें सिविल सेवा से संबंधित विशेषाधिकार भी शामिल हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है। एक और गैर-न्यायसंगत शक्ति महान्यायवादी का यह निर्णय लेने का विशेषाधिकार है कि सार्वजनिक हित की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं।"

11. यह हमारी सुविचारित राय/दृष्टिकोण है कि संविदा, खरीद आदि के मामलों में अनुमेय न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा संविदा की विषय-वस्तु के साथ अलग-अलग होगी तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई समान मानक या गहराई नहीं हो सकती है जिसे काम के ठेके या सामान/सामग्री की खरीद के सभी मामलों पर लागू करने के लिए एक सर्वव्यापी सिद्धांत के रूप में समझा जा सके। इसलिए, हमारे सामने मौजूद चुनौतियों की संवीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, क्योंकि *खरीद का विषय देश की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है।"*

23. ईसाब इंडिया लिमिटेड बनाम प्रवर्तन के विशेष निदेशक, **(2011) 178 डीएलटी 569** में, इस न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची सहपठित धारा 24 की संवैधानिक वैधता को न्यायनिर्णीत किया, जिसने प्रभावी रूप से कुछ खुफिया एवं सुरक्षा संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रस्तुत करने से छूट दी। ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के विधिशास्त्र का सारांश देने के बाद, इस न्यायालय ने इस आधार पर धारा 24 में हस्तक्षेप नहीं किया कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न शामिल थे तथा इसलिए यह न्यायालय इस मामले पर विचार करने के लिए उचित न्यायालय नहीं है। इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्यपालिका राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जिम्मेदार राज्य की एकमात्र शाखा है तथा इसलिए उसे ऐसे निर्णय लेने चाहिए।

24. लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. चौधरी बनाम भारत संघ व अन्य, **2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 915** में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संघ को अपनी नीति को इस हद तक वापस लेने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी कि उसने याचिकाकर्ता एवं भारतीय सेना के अन्य सदस्यों को फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्मों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जबकि इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, **(2020) 5 एससीसी 481**; ईसाब

इंडिया लिमिटेड बनाम प्रवर्तन के विशेष निदेशक, **(2011) 178 डीएलटी 569**; महमूद प्राचा बनाम खुफिया विभाग, **2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9499**; डिजी केबल नेटवर्क (इंडिया) प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ, **(2019) 4 एससीसी 451**; तथा दिल्ली रा.रा.क्षे. राज्य बनाम संजीव, **(2005) 5 एससीसी 181** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए; अनुच्छेद 226 के तहत निहित अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है एवं निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

> *"19. भारत संघ बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, (2017) 2 एससीसी 599 मामले में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित था, जिसमें हवाई अड्डों पर पूर्व यान-आरोहण (प्री-इंबार्केशन) सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को शामिल करना था। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपास्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि (i) उच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर विवेकपूर्ण एवं आत्मारोपित किए गए प्रतिबंध का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया था; सुरक्षा के मामलों का निर्धारण सरकार के उन अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास ऐसा करने का कर्तव्य एवं दायित्व है; (ii) खुफिया जानकारी एकत्र करना, सुरक्षा की नीतियों का निर्माण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के खतरों से निपटान हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर निर्णय लेना,*

ऐसे मामले हैं जिन पर न्यायालयों में विशेषज्ञता की कमी है; (iii) न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऐसी नीति का सुझाव देना न्यायालय के अधीन नहीं था जिसे वह उचित समझता हो और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सुझावों का निर्माण न्यायिक पुनर्विलोकन के वैध क्षेत्र से कहीं परे निकल गया; (iv) ऐसी नीति का निर्माण उन सूचनाओं एवं इनपुट पर आधारित है जो न्यायालय को उपलब्ध नहीं हैं; तथा (v) न्यायालय ऐसे मामलों का विशेषज्ञ नहीं है।

20. *समसामयिक रूप से, भारतीय वायु सेना हेतु राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के संदर्भ में यह दोहराया गया कि यद्यपि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के निष्कासन के खिलाफ एक सामान्य धारणा है हालांकि सरकारी गतिविधि के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा एक आदर्श है तथा यह प्रारंभिक निर्णय से परे है कि क्या सरकार का दावा वास्तविक है जिसकी जांच करने में न्यायालय स्वयं को अक्षम मानता है। तुलनात्मक रूप से हाल ही में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, (2020) 5 एससीसी 481 में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकटीकरण के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया (i) यदि सरकारी तंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली अनावश्यक रूप से जनता*

के सामने उजागर हो जाती है तो इससे संवेदनशील मामलों पर निष्कपट और स्पष्ट दृष्टिकोण विचार या विकल्प बाधित होंगे; (ii) इसलिए उस वर्ग या श्रेणी के दस्तावेज़ों के विचार-विमर्श के स्तर को, विशेष रूप से, नीतिगत मामलों पर सुरक्षा मिलती है; (iii) न्यायालय ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने हेतु कार्यकारी लोकहित बचाव का उत्तर देने के लिए तैयार होगा जहां राष्ट्रीय सुरक्षा या उच्च नीति, उच्च संवेदनशीलता शामिल है; (iii) विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में, सरकारी जानकारी के पूर्ण प्रकटीकरण पर कई प्रतिबंध हैं; तथा (iv) सरकार के निर्णय निर्माताओं को स्वीकार करने एवं उन पर भरोसा करने की भी आवश्यकता है। एक बार फिर सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया, एआईआर 2020 एससी 1000 में, भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के संदर्भ में, यह दोहराया गया कि न्यायालय वास्तव में सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में सिद्धांत के न्यायिक विकास पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति के मुद्दों की सीमाओं से अवगत हैं।"

25. उपरोक्त मामलों में ध्यान देने पर, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय सामान्य तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि यह न्यायालय ऐसे निर्णय लेने के लिये उपयुक्त स्थिति में नहीं है।

26. राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में नीतिगत निर्णय देश के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के साथ-साथ सीमावर्ती देशों के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिए जाते हैं। इसके अलावा, जब अन्य देशों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को भारत की स्थितियों में लागू करने की बात आती है तो एक सुचिंतित विश्लेषण किया जाता है। न्यायालय ऐसे नीतिगत निर्णयों की उपयुक्तता की परख नहीं कर सकता है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तथा इस प्रकार, बुनियादी संरचना सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अर्थात् शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को खतरे में डाल सकते हैं।

27. मौजूदा मुद्दों पर आते हुए, यह न्यायालय पहले आक्षेपित योजना की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करना उचित समझता है। जैसा कि कहा गया है, आक्षेपित योजना एक भर्ती-सृजन योजना है जो बड़ी संख्या में बेरोजगार भारतीय युवाओं की तुष्टि करेगी तथा जिनमें से 25% अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के बाद भी सशस्त्र बलों में सेवारत रहने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा सरकार द्वारा एक सशस्त्र बल बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है जो कुशल, युवा, शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से सतर्क हो। यह भारतीय सशस्त्र बलों को अन्य देशों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस जैसे देशों के अनुरूप बनाएगा। ऐसी शक्ति बनाने के महत्व को भी इस न्यायालय में इंगित किया गया है।

28. अग्निवीर योजना 'लीडर टू लेड' अनुपात को 1.1 से बढ़ाकर 1.28 कर देगी; यह अनुपात आत्मविश्वास को बढ़ाएगा एवं ज़मीनी तौर पर सशस्त्र बलों के तनाव

को कम करेगा। आक्षेपित योजना पर विशेषज्ञों की राय भी मांगी गई है; जिन्होंने वास्तव में वर्तमान भर्ती एवं अवधारण योजना को भी नया रूप देने का सुझाव दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का प्रशंसनीय उद्देश्य आक्षेपित योजना के केंद्र में है जिसे यह न्यायालय इसे मनमाना, अनुचित या तर्क से विहीन नहीं पाता है।

29. जैसा कि हमारी सामूहिक स्मृति हमें स्मरण कराती है, हाल के दिनों में कई सीमा मुठभेड़ हुई हैं। इस तरह की घुसपैठें लीनर एवं फिटर सशस्त्र बल सेना की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं जो सशस्त्र बलों में सेवा सहित आने वाले मानसिक एवं शारीरिक संकट से निपटने में सक्षम हो।

30. इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले कहा गया है, कई अग्निवीरों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा विभिन्न पदों पर शामिल किया जाएगा। अग्निवीरों को विभिन्न प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे जो उन्हें सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी पाने में सक्षम बनाएंगे। चार साल तक सेना के साथ काम करने से निश्चित रूप से अग्निवीरों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी जो देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद की यह भावना इन व्यक्तियों को भविष्य में अपराध का रास्ता अपनाने से रोकने में बड़ी बाधा बनेगी।

31. अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि यह योजना भारत सरकार द्वारा एक सुविचारित नीतिगत निर्णय है। आक्षेपित योजना के तहत चयनित अभ्यर्थी को अग्निवीरों के रूप में नामांकित किया जाएगा जो सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट रैंक बनाता है। चार साल की अवधि के दौरान अग्निवीरों को आयुध प्रशिक्षण आदि सहित प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मार्गों पर भी तैनात किया जाएगा। चार वर्ष पूरे होने पर उन्हें अग्निवीर के रूप में काम करते हुए प्राप्त अनुभव हेतु उचित प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी में से 25% को नियमित सेना कैडर में भी नियुक्त किया जाएगा तथा बाकी 75% अग्निवीरों में से जो नियमित सेना कैडर में नहीं आ पाएंगे, उनमें से कई को अर्धसैनिक बलों में शामिल किया जा सकता है तथा विभिन्न कौशल प्रमाणपत्रों सहित अग्निवीर उन क्षेत्रों में सार्थक रोजगार हासिल करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे जिनमें उनके पास कौशल प्रमाणपत्र है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चार साल की प्रशिक्षण अवधि इन कर्मियों में राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा करेगी जो लगभग उन्हें अपने कौशल का उपयोग करने तथा देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। इस तरह की अनुकूलताओं को इस आशंका के आधार पर नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता है कि चार साल के बाद ऐसे व्यक्ति

बेरोजगार हो सकते हैं या केवल इस आशंका के आधार पर कि सेना में प्रशिक्षित होने के बाद वे अवैध या अनैतिक गतिविधियां अपना सकते हैं। इस आक्षेपित योजना में केवल ऐसी आशंकाओं और अनावृत प्रकथन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

32. याचीगण की एक और बड़ी शिकायत यह है कि अग्निवीरों को चार साल के अंत में पेंशन नहीं दी जाएगी। यह तर्क दिया गया है कि ऐसी पेंशन अन्य देशों के सैनिकों को दी जाती है जिन्होंने सशस्त्र बलों में समान अल्पकालिक सेवाओं में तैनाती ली थी। हालांकि, याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि इजराइल जैसे देशों, जिन्होंने ऐसी नीति लागू की है और भारत के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि भारत सरकार ने राष्ट्र के युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करना अनिवार्य नहीं बनाया है।

33. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाता कि सरकार भविष्य में अग्निवीरों के सार्थक रोजगार के लिए प्रावधान करने में विफल रही है। जैसा कि पहले कहा गया है सरकार ने वस्तुतः मुद्रा एवं स्टार्ट-अप इंडिया जैसी उद्यमिता वित्तीय योजनाओं को अग्निवीरों के लिए लागू करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी संगठनों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है; गृह मंत्रालय के

अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विभाग में अग्निवीरों के लिए 10% रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों में 10% तथा रेलवे के अंतर्गत सभी विभागों में 5% आरक्षण दिया गया है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि आक्षेपित योजना न केवल युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी बल्कि इसके परिणामस्वरूप सशस्त्र बलों में जो सबसे सक्षम व्यक्ति होंगे उन्हें उज्ज्वल भविष्य एवं अच्छे वित्तीय पैकेज से पुरस्कृत किया जाएगा।

34. इस न्यायालय की राय है कि आक्षेपित योजना के कथित राजनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उक्त योजना द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा गया है, नियमित सेना में भर्ती नहीं होने वाले अग्निवीरों को कौशल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जो उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यहां जिस योजना पर सवाल उठाया गया है, वह न केवल उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होगी जिन्हें कम उम्र में भर्ती किया गया है, बल्कि यह देश के युवाओं को आवश्यक कौशल में भी समर्थ बनाएगा जो उन्हें उन क्षेत्रों में बेहतर भुगतान के अवसर प्राप्त करने में सहायता कर सकता है जिसके लिए वे विशेष रूप से उपयुक्त हैं। इसलिए, इस योजना से व्यक्ति के विकास एवं उन्नति में लाभ होगा जो केवल

राष्ट्र के विकास तथा उन्नति में मदद करेगा। इसी दृष्टिकोण से किसी को भी आक्षेपित योजना का आकलन करना चाहिए।

35. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के नेक उद्देश्यों के बावजूद, वर्तमान योजना राज्य की किसी भी अन्य पहल की तरह बाधाओं का सामना करने के लिए विवश है। इस संभावना पर भी ध्यान दिया गया है क्योंकि भारत सरकार ने दिनांक 15.06.2022 के *रक्षा मंत्रालय* पत्र सं. डीएमए/जेएस/(एन व *एस)/2021/अग्निपथ-01* के माध्यम से आश्वासन दिया है कि "योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी परिचालन संबंधी मुद्दों का निर्धारित प्रावधानों के तहत, जब भी आवश्यक हो, वित्त मंत्रालय की सहमति से, रक्षा मंत्रालय की मंजूरी सहित समाधान किया जाएगा।"

36. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित योजना के विकल्पों पर विचार नहीं कर सकता है। योजना का निर्माण केंद्र सरकार के 'संप्रभु नीति-निर्माण कार्यों' का एक प्रयोग है, जिसमें उपरोक्त चर्चा किए गए निर्धारित सिद्धांतों के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

37. निष्कर्ष के तौर पर, इस न्यायालय को यह दोहराना उचित लगता है कि नीतिगत निर्णय विशेष रूप से जिनका देश के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, ऐसा करने वाले सबसे उपयुक्त निकायों द्वारा तय किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार लंबे समय से एक सशस्त्र बल बनाने की संभावना पर विचार कर रही है जिसमें अधिक कुशल, युवा एवं शारीरिक रूप से कुशल व्यक्ति शामिल हों। विशेषज्ञ निकायों, रक्षा कर्मियों की राय पर विचार करने एवं अन्य देशों द्वारा अपनाए गए मॉडलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर अंततः अग्निपथ योजना द्वारा परिकल्पित भर्ती सहित भर्ती की पूर्व प्रणाली को बदलने का निर्णय लिया गया है। यह मानते हुए कि सरकार का घोषित उद्देश्य न तो भेदभावपूर्ण है, न ही दुर्भावनापूर्ण है, या मनमाना है, इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

भाग-ख

विवाद्यक

38. शेष रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के विचार हेतु जो विवाद्यक सामने आता है वह यह है कि क्या संघ के कार्य वचन विबंध तथा विधि सम्मत सिद्धांतों को आकर्षित करते हैं, जिससे इसे भारतीय सेना एवं वायु सेना हेतु

क्रमशः 'सामान्य प्रवेश परीक्षा' (इसके बाद 'सीईई' के रूप में संदर्भित) तथा 2019 अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो गया है?

<u>तथ्य</u>

<u>भारतीय वायु सेना में भर्ती से संबंधित तथ्य</u>

39. भारतीय वायु सेना, भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा ने दिसंबर 2019 में 01/2021 बैच में प्रवेश हेतु 'ग्रुप एक्स' एवं 'ग्रुप वाई' ट्रेड के तहत कुछ श्रेणियों में विमान-चालक के रूप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।

40. अधिसूचना के अनुसार, भारतीय वायु सेना ने निम्नलिखित तीन चरणों में इस प्रक्रिया की परिकल्पना की थी: अभ्यर्थी को पहले एक ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना था; पहले दौर से चुने गए व्यक्तियों को दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक फिटनेस परीक्षण, समूह चर्चा एवं अनुकूलन क्षमता परीक्षण हेतु वायु सैनिक चयन केंद्र में बुलाया जाना था; तथा दूसरे चरण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाना था। इस प्रक्रिया के समापन पर अंत में चयनित अभ्यर्थी की सूची दिनांक 10.12.2020 को प्रकाशित की जानी थी।

41. तदनुसार, दिनांक 20.01.2020 को ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। याचीगण ने अन्य अभ्यर्थियों की तरह विभिन्न पदों पर रिक्तियों के लिये आवेदन किया था।

42. यह कहा गया है कि याचीगण ने भी अन्य अभ्यर्थियों की तरह दिनांक 19.03.2020 से दिनांक 23.03.2020 तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं के पहले चरण की प्रतीक्षा की। हालांकि, इस बीच, जैसे ही कोविड़-19 महामारी ने देश के कामकाज को ठप कर दिया इन ऑनलाइन परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

43. अक्टूबर 2020 में 'केंद्रीय वायु सैनिक चयन *बोर्ड*' द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से याचीगण को दिनांक 04.11.2020 से दिनांक 08.11.2020 तक परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना के माध्यम से स्पष्टता प्रदान की गई थी। आवेदकों को एक अनंतिम प्रवेश पत्र भी जारी किया गया था और परीक्षा इन तिथियों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

44. दिनांक 26.11.2020 को पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया और याचिकाकर्ता इस चरण में सफल हुए। दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 25.01.2021 तक आयोजित होने वाले दूसरे चरण के लिये याचीगण को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे और तदनुसार उन्होंने दूसरे चरण के तहत परिकल्पित विभिन्न

परीक्षणों के लिए तैयारी की। ऐसा कहा गया है कि याचीगण इस दौर में भी सफल रहे।

45. दिनांक 03.02.2021 से जुलाई 2021 के बीच याचीगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। कुछ याचीगण ने इस चरण में सफल रहे और उन्हें भारतीय वायु सेना में सेवा करने हेतु चिकित्सकीय रूप से योग्य पाया गया।

46. तदनुसार, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के नाम, अंक कट-ऑफ और अभ्यर्थी के स्थान वाली एक अनंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई थी। इस सूची में स्पष्टतः कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थी के नाम वाली नामांकन सूची दिनांक 10.06.2021 को प्रकाशित की जाएगी।

47. सितंबर 2020 में, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में ग्रुप एक्स ट्रेड्स ('2020 अधिसूचना') में वायु सैनिक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की जैसा कि 2019 अधिसूचना के तहत भी आमंत्रित किया गया था। 2020 की अधिसूचना एवं 2019 की अधिसूचना के तहत परिकल्पित तीन चरणों के विपरीत, तीनों चरणों को एक ही दिन में आयोजित किया जाना था।

48. इस अधिसूचना के परिणाम दिनांक 25.01.2021, दिनांक 25.02.2021 और दिनांक 16.03.2021 को घोषित किए गए, जिसके अनुसार 5062 अभ्यर्थी का चयन किया गया; 3756 रैली भर्ती के माध्यम से एवं शेष 1306 को 2/2020 बैच

के प्रवेश की प्रतीक्षा सूची से, अर्थात् 2019 की अधिसूचना से पहले जारी की गई अधिसूचना के अनुसार चयन किया गया था।

49. यह कहा गया है कि दिनांक 10.07.2021 और दिनांक 31.05.2022 के बीच, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड ने 2019 अधिसूचना की नामांकन सूची के प्रकाशन में देरी के लिये कोविड़-19 महामारी और प्रशासनिक कारण जैसे विभिन्न कारण दिये।

50. दिनांक 14.06.2022 को, भारत सरकार द्वारा भारतीय वायु सेना में भर्ती हेतु 'अग्निपथ' नामक एक नई योजना शुरू करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अग्निपथ योजना में अभ्यर्थी के लिए 4 साल की अवधि का उल्लेख किया गया था और 4 साल के कार्यकाल के बाद केवल 25% अभ्यर्थी को बरकरार रखा जाना था। अग्निपथ योजना का बताया गया तर्क पेंशन और वेतन पर सेना के खर्च में कमी करना था। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद वायुसेना में लंबित भर्तियां रद्द कर दी गईं।

51. अग्निपथ योजना की शुरुआत से व्यथित याचीगण ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

<u>भारतीय सेना में भर्ती से संबंधित तथ्य</u>

52. ये रिट याचिकाएँ भारतीय सेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों, जैसे सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपिंग सहायक आदि की भर्ती से संबंधित हैं।

53. भारतीय सेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) की भर्ती "रैलियों" द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके बाद चिकित्सा, शारीरिक और लिखित परीक्षा *होती है जिसे 'सामान्य प्रवेश परीक्षा' (इसके बाद इसे* 'सीईई के रूप में संदर्भित किया जाएगा*)* के रूप में जाना जाता है।

54. जून 2020 में, भारतीय सेना ने सैनिक (जनरल), सैनिक (तकनीकी), सैनिक (क्लर्क) के पद के लिए भर्ती हेतु एक अधिसूचना जारी की।

55. याचीगण ने भर्ती प्रक्रिया के पहले तीन चरणों में भाग लिया और सफल हुए। इसके बाद, याचीगण ने संघ द्वारा सीईई का संचालन करने का इंतजार किया, जो मूल रूप से दिनांक 30.05.2021 पर आयोजित किया जाना था, हालांकि, कोविड-19 महामारी का कारण बताते हुए, संघ द्वारा सीईई में बारंबार विलंब हुआ।

56. जून 2022 में, संघ ने अग्निपथ योजना को अधिसूचित किया, जिसमें भर्ती के पहले से मौजूद रूपों को शामिल किया गया है। चूंकि इस योजना ने याचीगण की भर्ती को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया है, इसलिए याचीगण ने इस न्यायालय के समक्ष गुहार लगायी है।

<u>याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

57. इन मामलों में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने दो प्रमुख प्रस्तुतियां दी हैं। सर्वप्रथम, उन्होंने तर्क दिया कि संघ की कार्रवाईयां वचन विबंध

के सिद्धांत से प्रभावित होती हैं क्योंकि याचीगण ने भारतीय वायु सेना के लिये चुने जाने पर, अपने अहित में अन्य नौकरी के अवसरों को छोड़ने का निर्णय किया। श्री भूषण ने कहा है कि याचीगण लगभग तीन वर्षों से भारतीय सेना और नौसेना में रोजगार पाने की आशा कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन के प्रमुख वर्षों को खो दिया है। इस संबंध में, श्री भूषण ने मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उ.प्र राज्य, (**1979) 2 एससीसी 409** एवं बिहार राज्य बनाम कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, **(2010) 3 एससीसी 274** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले याचिकाकर्ता इस वैध उम्मीद के हकदार हैं कि उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। श्री भूषण ने कहा कि ऐसी अपेक्षा इस बात से उत्पन्न होती है कि (क) भर्ती प्रासंगिक नियमों के अनुसार शुरू की गई थी; (ख) 2019 की अधिसूचना को विधि की मंजूरी प्राप्त है; और (ग) प्रत्यर्थी ने वास्तव में भारतीय नौसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया।

58. श्री भूषण ने यह भी तर्क दिया है कि संघ का मनमानापन इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय सेना तथा भारतीय वायु सेना के विपरीत, महामारी के दौरान भी भारतीय नौसेना में भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। यह तर्क दिया गया है कि 'चयनित चयन (चैरी-पिकिंग)' का यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

59. इसके अतिरिक्त, श्री भूषण ने यह भी तर्क दिया है कि भर्ती की लिखित प्रक्रिया जारी होने के बावजूद भारतीय सेना एवं वायु सेना द्वारा रैली भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थी की भर्ती करना भेदभावपूर्ण व मनमानी है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 की अवहेलना है। इस संबंध में, रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, **(1979) 3 एससीसी** पर भरोसा जताया गया है।

60. उपरोक्त आधारों के अतिरिक्त, 'सेना सीईई मामलों' में याचीगण ने तर्क दिया कि सीईई परीक्षा आयोजित करने में भारत संघ की निष्क्रियता मनमानी, अस्थिर और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचीगण ने यह तर्क देने के लिए शंकरसन दाश बनाम भारत संघ, **(1991) 3 एससीसी 47** पर भी भरोसा किया है कि राज्य रोजगार में नियुक्तियां करते समय राज्य मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।

प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए तर्क

61. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अति.महा.सा. ने तर्क दिया है कि यह विधि की सुव्यवस्थित स्थिति है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचीगण के पक्ष में कोई निहित अधिकार संभवतः अर्जित नहीं हो सकता है। इस संबंध में, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है: शंकरसन दाश बनाम भारत संघ, **(1991) 3 एससीसी 47**; बबीता प्रसाद बनाम बिहार राज्य, **1993**

पूरक (3) एससीसी 268; ए.पी. बनाम डी. दस्तगिरी, **(2003) 5 एसईसी 373**; भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार, **(2007) 8 एससीसी 100** प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अति.महा.सा. ने आगे तर्क दिया है कि भर्ती के तरीके और पद्धति को बदलने का निर्णय केंद्र सरकार के 'संप्रभु नीति-निर्माण कार्यों' के दायरे में आता है, जिससे न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। यह सशस्त्र बलों में नियुक्ति के लिए विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित है।

62. यह भी तर्क दिया गया है कि असाधारण सीमा स्थिति, लगातार खतरों और विरोधी पड़ोसी देशों तथा गैर-राज्य सक्रियक द्वारा उक्त सीमाओं में घुसपैठ करने के प्रयासों के कारण अग्निपथ योजना की आवश्यकता थी। ऐसा कहा गया है कि भारतीय सेना के 'अधिकारी' रैंक से नीचे के खण्डों की मौजूदा संरचना का विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि भारतीय सशस्त्र बल के कर्मियों की औसत आयु 32 वर्ष थी। यह सेनाओं की वैश्विक स्थिति के बिल्कुल विपरीत था जिससे पता चला कि दुनिया भर में सशस्त्र बलों की औसत आयु 26 वर्ष थी। नौसेना और वायु सेना के लिए भी यही स्थिति है। इसलिए, अग्निपथ योजना के माध्यम से हासिल किया जाने वाला उद्देश्य अग्निवीरों के रूप में 18-25 वर्ष की आयु के बीच के युवा जवानों, नाविकों या वायुसैनिकों का मिश्रण है, जिनकी देखरेख अनुभवी नियमित कैडर कर्मियों द्वारा की जाती है।

63. विद्वान अति.महा.सा. ने यह भी तर्क दिया है कि भारतीय नौसेना अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाध्य थी क्योंकि भारतीय थलसेना एवं वायु सेना की तुलना में भारतीय नौसेना का कर्मचारीवृंद कम है। उन्होंने यह बताते हुए इसकी पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना के तटीय शहरों में बहुत कम अड्डे हैं और पहले से ही लगभग 12,500 नाविक सैन्य बल का अभाव है। आगे कहा गया कि 2020 में पहले से ही लगभग 16.5% की कमी थी और भर्ती में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप सैन्य बलों की कमी 20% बढ़ जाती है। प्रत्येक गुजरते साल के साथ यह कमी और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए, यह पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में था कि भारतीय नौसेना को अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रखनी चाहिये थी और दो बैचों को शामिल करना चाहिए था जबकि भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने ऐसा नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया होता, तो भारतीय नौसेना की स्थिति गंभीर रूप से और प्रभावित होती जाती।

64. विद्वान अति.महा.सा द्वारा यह भी अभिलेख पर रखा गया है कि रैली भर्ती की तुलना भारतीय सेना और वायु सेना की नियमित भर्ती प्रक्रिया से नहीं की जा सकती है। वायु सेना में भर्ती के संबंध में, विद्वान अति.महा.सा ने कहा कि देश के आदिवासी, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों से भर्ती बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भर्ती रैलियां आयोजित की गई, ताकि वायु सेना में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाये रखा जा सके। आगे कहा गया है कि रैलियां, पिछली भर्ती पद्धति के

विपरीत, एक त्वरित प्रक्रिया है और इसलिए, इसे नियमित भर्ती प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि ऐसी रैलियां दिसंबर 2020 में आयोजित और संपन्न की गई जबकि नियमित भर्ती को 2021 में पूरा किया जाना था। इसलिए, प्रक्रिया और समय-सीमा में उल्लेखनीय अंतर के कारण याचीगण को रैली भर्ती के माध्यम से शामिल किए गए व्यक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय सेना के संबंध में, यह कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण, महामारी से पहले आयोजित की गई लगभग 80 रैलियों के मुकाबले केवल चार रैलियां आयोजित की जा सकी थीं। विद्वान अति.महा.सा ने तर्क दिया है कि सशस्त्र बलों को यह देखते हुए तत्काल अधिकारियों की भर्ती करने की आवश्यकता है कि भर्ती का सामान्य कोर्स एक बहु-आयामी प्रक्रिया है। संक्षेप में, विद्वान अति.महा.सा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता रैली भर्ती के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती का यह तरीका विभिन्न परिस्थितियों में आयोजित किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था।

<u>विश्लेषण</u>

65. इस न्यायालय के समक्ष पहला प्रश्न यह है कि क्या संघ के कार्य विधिसम्मत अपेक्षा के सिद्धांतों को आकर्षित करते हैं, जिससे उसे भारतीय सेना और वायुसेना के लिए क्रमश: सीईई और 2019 अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है।

66. विधिसम्मत अपेक्षा के सिद्धांत पर शीर्ष न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा भी विस्तार से चर्चा की गई है। सिद्धांतों के तहत विकसित विधिशास्त्र पर संक्षेप में विचार करने के बाद यह न्यायालय वर्तमान मामले में उनकी उपयुक्तता का परीक्षण करेगा। प्रक्रियात्मक एवं वास्तविक विधिसम्मत अपेक्षा के सिद्धांत के दो पहलू हैं। जिसमें प्रक्रियात्मक विधिसम्मत अपेक्षा किसी विशेष निर्णय लेने से पहले प्रतिनिधित्व या सुनवाई के अवसर से संबंधित होती है, मौलिक विधिसम्मत अपेक्षा किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले मौलिक प्रकृति के लाभ के वादे से संबंधित होती है (संदर्भ: पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ, **(1999) 4 एससीसी 727)**

67. विधिसम्मत अपेक्षा का सिद्धांत, जिसकी उत्पत्ति प्रशासनिक विधि में हुई है, सरकार को उत्तरदायी एवं अपने वचनबद्ध बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। यह सिद्धांत तब लागू किया जाता है जब कोई व्यक्ति अधिकारों या दायित्वों में परिवर्तन से व्यथित होता है, जो ऐसे व्यक्ति को किसी भी लाभ या फायदे से वंचित करता है और ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हालांकि, ऐसा

सिद्धांत, जैसा कि भारत संघ बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, **(1993) 3 एससीसी 499** में स्पष्ट किया गया है, किसी विधि को अमान्य करने हेतु आधार बनाने के लिए अत्यंत अस्पष्ट है। इसी प्रकार, जनहित के विचार किसी व्यक्ति की विधिसम्मत अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, कार्यपालिका उन नीतियों को बदलने की अपनी शक्तियों के अंतर्गत है, जो मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं, या जब सार्वजनिक हित में ली गई हों। यदि केवल किसी नीति को बदलने का निर्णय मनमाना या भेदभावपूर्ण है, तो इसे खारिज किया जा सकता है (संदर्भ: एम. रमेश बनाम भारत संघ, **(2018) 16 एससीसी 195**; केरल स्टेट बेवरेजेज (एम&एम) कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पी.पी. सुरेश, **(2019) 9 एससीसी 710)**

68. हमारे समक्ष सभी मामलों में याचीगण ने तर्क दिया कि उन्होंने सशस्त्र बलों में भर्ती की मांग की थी। यह कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में भर्ती रोक दी गई थी क्योंकि एक चयन सूची जारी की गई थी जिसमें कई याचीगण के नाम शामिल थे और इस उम्मीद के कारण कि उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा लाभप्रद रूप से नियोजित किया जाएगा, वे अन्यत्र रोजगार पाने में असफल रहे। हालांकि, आक्षेपित योजना के आरम्भ के कारण, वे स्वयं को कठिनाइयों में पाते हैं; न तो उन्होंने कहीं और रोजगार की तलाश की, न ही वे अब पहले से मौजूद योजनाओं के माध्यम से सशस्त्र बलों में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कहा

गया है कि वे अन्यत्र नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु अधिक आयु के हो गए हैं।

69. विधिसम्मत अपेक्षा का सिद्धांत उनकी सहायता नहीं कर सकता। यह सत्य है कि कुछ याचीगण ने भर्ती प्रक्रिया के कुछ चरणों को पार कर लिया है और वे केवल अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याचीगण की ओर से पेश अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि याचीगण को पूर्ववर्ती प्रक्रिया के तहत सेना में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के बाद शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था और उन्हें अनंतिम सूची में शामिल किया गया था, लेकिन आक्षेपित योजना के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए थे। यह सुव्यवस्थित है कि जो व्यक्ति केवल नियुक्ति पत्र जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे रोजगार प्राप्त करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि किसी को भी रोजगार का दावा करने का अपरिहार्य अधिकार नहीं है। शीर्ष न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में इस विवाद्यक को स्पष्ट किया गया कि क्या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किये बिना उसे कोई अधिकार प्राप्त है। शंकरसन दाश (पूर्वोक्त) में शीर्ष न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "7. **यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी**

योग्य पाए जाते हैं, तो सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे विधिसम्मत रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु योग्य अभ्यर्थी का निमंत्रण मात्र होता है और उनके चयन पर उन्हें पद का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक प्रासंगिक भर्ती नियम ऐसा इंगित नहीं करते हैं, राज्य पर सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुज्ञप्ति है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय प्रमाणित रूप से उचित कारणों सहित लिया जाना चाहिए और यदि रिक्तियां या उनमें से किसी को भी भरा जाता है, तो राज्य अभ्यर्थी की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने हेतु बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस न्यायोचित स्थिति का निरंतर अनुसरण किया गया है और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा [(1974) 3 एससीसी 220 : 1973 एससीसी (एल&एस) 488 : (1974) 1 एससीआर 165], नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य [(1986) 4 एससीसी 268 : 1986 एससीसी (एल&एस) 759], या जतिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य [(1985) 1 एससीसी 122 : 1985 एससीसी (एल&एस) 174 : (1985) 1 एससीआर 899]।" मामलों के निर्णयों में कोई असंगत टिप्पणी नहीं मिली।

(जोर दिया गया)

70. <u>रघुवीर सिंह यादव,</u> **(1994) 6 एससीसी** 151) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> *"5. यह विवाद में नहीं है कि भार व माप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के रूप में विज्ञान या इंजीनियरिंग में डिग्री या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा को शामिल करते हुए वैधानिक नियम बनाए गए हैं। यह स्थापित विधि है कि राज्य को भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है।* ***यहां मामला यह है कि संशोधित नियमों के अनुसार सरकार ने पिछली अधिसूचना वापस ले ली है एवं नए सिरे से भर्ती आगे बढ़ाना चाहती है। यह किसी प्रोद्भूत अधिकार का मामला नहीं है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे एवं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें केवल विधिसम्मत अपेक्षा थी कि उनके दावों पर उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। संशोधित नियमों का केवल संभावित संचालन है। सरकार बदले हुए नियमों के अनुसार चयन करने और अंतिम भर्ती करने की हकदार है। जाहिर तौर पर किसी भी अभ्यर्थी ने राज्य के खिलाफ कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं किया। इसलिए, राज्य उस अधिसूचना को वापस लेने का हकदार है जिसके द्वारा उसने पहले भर्ती अधिसूचित की थी और संशोधित नियमों के आधार पर उस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।"***
>
> (जोर दिया गया)

71. <u>जय सिंह दलाल बनाम हरियाणा राज्य,</u> **1993 पूरक (2) एससीसी 600** में, शीर्ष न्यायालय ने, शंकरसन दाश (पूर्वोक्त) में शीर्ष न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निर्णय पर भरोसा करने के बाद, निम्नानुसार पाया है:

> *"7..... इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल इस तथ्य से कि विज्ञापन की प्रतिक्रिया के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चुना गया था, वे नियुक्ति के हकदार नहीं हैं। इसे अलग तरह से कहें तो, चयन सूची में अपना नाम दर्ज करने पर अभ्यर्थी को कोई अधिकार नहीं मिला था और यह सरकार स्वतंत्र थी कि वह उचित कारणों से नियुक्तियां न करे और रिक्तियों को न भरे। शंकरसन दाश बनाम भारत संघ के वर्तमान निर्णय में [(1991) 3 एससीसी 47 : 1991 एससीसी (एल&एस) 800 : (1991) 17 एटीसी 95] इस न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया कि भले ही कई रिक्तियों को अधिसूचित किया गया हो नियुक्ति और पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपयुक्त पाए जाने पर, सफल अभ्यर्थी को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह बताया गया कि आम तौर पर अधिसूचना केवल योग्य अभ्यर्थी को भर्ती को आवेदन करने के लिए निमंत्रण के समान होती है और उनके पद पर चयन उन्हें हेतु कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। राज्य के पास उस उद्देश्य हेतु चयनित अभ्यर्थी को नियुक्त करके सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है। हालांकि,*

राज्य को सद्भावना से कार्य करना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग दुर्भावना से या मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। संविधान पीठ ने सुभाष चंदर [(1974) 3 एससीसी 220 : 1973 एससीसी (एल&एस) 488 : (1974) 1 एससीआर 165] मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को मंजूरी के साथ संदर्भित किया। ***इसलिए, विधि यह तय करती है कि नियुक्ति हेतु चुने गए अभ्यर्थी को भी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और राज्य सरकार आगामी तिथियो पर पदों को न भरने या संशोधित मानदंडों पर नए चयन एवं नियुक्ति का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है……."***

(जोर दिया गया)

72. एम. रमेश (पूर्वोक्त) मामले में शीर्ष न्यायालय ने जय सिंह दलाल (पूर्वोक्त) व शंकरसन दाश (पूर्वोक्त) पर भरोसा रखने के बाद निम्नानुसार पाया गया है:

"21. पहला मुद्दा यह उठता है कि क्या याचीगण के पास यह दावा करने का कोई निहित अधिकार है कि परिणाम घोषित किया जाना चाहिए और यदि याचीगण का चयन किया जाता है, तो उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। जय सिंह दलाल बनाम हरियाणा राज्य [जय सिंह दलाल बनाम हरियाणा राज्य, 1993 पूरक (2) एससीसी 600 : 1993 एससीसी (एल&एस) 846] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि सरकार ने नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए यूपीएससी को एक अध्यपेक्षा प्रेषित की थी इससे साक्षात्कार हेतु

बुलाए गए अभ्यर्थी को नियुक्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं बनता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जिस प्राधिकारी के पास भर्ती की पद्धति को निर्दिष्ट करने की शक्ति है, उसे संशोधित करने और उसे प्रतिस्थापित करने की शक्ति होनी चाहिए। हालांकि न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि भली भाँति सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14 के मापदंड पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने की आवश्यकता हो सकती है। बड़ी संख्या में मामलों में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है। विजय कुमार मिश्रा बनाम पटना उच्च न्यायालय [विजय कुमार मिश्रा बनाम पटना उच्च न्यायालय, (2016) 9 एससीसी 313 : (2016) 2 एससीसी (एल&एस) 606] में, ***इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चयन और नियुक्ति के बीच अंतर है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति चयन प्रक्रिया में सफल हो जाता है, उसे स्वत: नियुक्त होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।***

22. *इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मात्र इसलिए कि किसी व्यक्ति का चयन किया गया है, तो उस व्यक्ति को नियुक्ति का दावा करने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाता है। जहां तक वर्तमान मामलों का सवाल है, परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और चयन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचीगण के पास यह दावा करने का*

कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है कि परिणाम घोषित किया जाना चाहिए या योग्य *पाए जाने पर उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।"*

(जोर दिया गया)

73. विधि के इन स्थापित सिद्धांतों के अतिरिक्त, अभिलेख पर मौजूद सामग्री भी काफी हद तक याचीगण के खिलाफ है। पीएसएल दिनांक 31.05.2021 में प्रकाशित अभ्यर्थी हेतु निर्देशों में यह भी कहा गया है कि *"जिन अभ्यर्थी के नाम अनंतिम चयन सूची में दिए गए हैं, वे नामांकन की गारंटी नहीं देते हैं।"* यह तथ्य कि अनंतिम सूची में चयनित व्यक्तियों के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया था, इस तथ्य से यह भी पता चलता है कि अनंतिम सूची की शुरुआत में ही कहा गया है कि उक्त अनंतिम चयन सूची केवल दिनांक 30.11.2021 तक वैध थी। प्रासंगिक रूप से, वायु सेना में भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 21.12.2019 में यह भी कहा गया है कि *"विज्ञापन में दिए गए नियम व शर्तें केवल दिशा निर्देश हैं और सरकार द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित आदेश चयनित अभ्यर्थी के लिए लागू होंगे।"* ये चेतावनी काफी हद तक याचीगण के उस दावे के खिलाफ है जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता रोजगार हासिल करने के प्रवर्तनीय अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं [(संदर्भ: <u>एम. रमेश</u> (पूर्वोक्त); <u>जय सिंह दलाल</u> (पूर्वोक्त)]। इसके अतिरिक्त, चयन एवं नियुक्ति के बीच अंतर मौजूद है। सिर्फ इसलिए कि यदि कोई व्यक्ति चयन प्रक्रिया में

सफल होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार मौजूद नहीं है (संदर्भ: विजय कुमार मिश्रा बनाम पटना उच्च न्यायालय, **(2016) 9 एससीसी 313;** मध्य प्रदेश राज्य बनाम रघुवीर सिंह यादव, (पूर्वोक्त)।

74. याचीगण के खिलाफ एक और असंगत कारक है: जनहित। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एक भर्ती प्रक्रिया को राज्य द्वारा बीच में ही बदला जा सकता है, यदि वह जनहित में हो। अग्निपथ योजना भी इस परीक्षा में पर्याप्त रूप से उत्तीर्ण होती प्रतीत होती है। इस योजना का घोषित उद्देश्य सशस्त्र बलों की आयु कम करना है; इससे सेनाएं लीनर, फुर्तीली होंगी और यह सीमा सुरक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। यह भी कहा गया है कि आक्षेपित योजना, सैनिकों की औसत आयु को कम करके, हमारे सशस्त्र बलों को अन्य देशों के बराबर लाएगी, क्योंकि दुनिया भर में सशस्त्र बलों की औसत आयु 26 वर्ष है। प्रस्तावित योजना का घोषित उद्देश्य 18-25 वर्ष की आयु के बीच के युवा जवानों, नाविकों या वायुसैनिकों को अग्निवीरों के रूप में शामिल करना है, जिनकी देखरेख 26 वर्ष की आयु वाले एक अनुभवी नियमित कैडर द्वारा की जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य अधिकारियों की आयु सीमा भी लगातार कम कर रही है। जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में बताया गया है,

सरकार के ऐसे घोषित उद्देश्यों को मनमाना, अस्थिर या दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है; वे निश्चित जन हित की सेवा कर रहे हैं।

75. यह न्यायालय अब न्यायनिर्णीत करेगा कि क्या वचन विबंध का सिद्धांत इस मामले पर लागू है। विधिसम्मत अपेक्षा के सिद्धांत की तरह, वचन विबंध भी केवल एक ढाल है, तलवार नहीं। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड में, (पूर्वोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही व्यापक जनहित बदली हुई नीति के पक्ष में हो, सरकार के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि यदि सरकार को अपने दायित्व का सम्मान करने की आवश्यकता होगी तो जनहित को हानि होगी। हाल ही में, भारत संघ बनाम यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज, **(2019) 10 एससीसी 575,** मामले में सर्वोच्च न्यायालय का सामना इस बात से हुआ कि क्या भारत संघ को वचन विबंध के सिद्धांत के कारण कुछ उत्पादों के संबंध में उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट वापस लेने से रोका जा सकता है। अनेक निर्णयों का उल्लेख करने और वचन विबंध के सिद्धांत के विकास का पता लगाने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे नीतिगत निर्णय जनहित को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, न्यायालयों को आगामी समय में सरकार को नीतिगत निर्णयों हेतु बाध्य नहीं करना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित पुनरुक्ति की गई है:-

"15. ***इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि वचन विबंध के सिद्धांत को संक्षेप में लागू नहीं किया जा सकता है और न्यायालय प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भलाई सहित सभी पहलुओं को देखने हेतु बाध्य हैं।*** *यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिद्धांत की उपयुक्तता पर विचार करते समय, न्यायालयों को समानता का काम करना होगा और सिद्धांत की उपयुक्तता पर विचार करते समय समानता का मूल सिद्धांत हमेशा न्यायालय की दृष्टि में उपस्थित रहना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वचन विबंध का सिद्धांत तब सामने आना चाहिए जब समानता की मांग हो और जब इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिखाया जा सके कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व से रोकना असमान होगा। इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद जिन पर निर्धारितीयों ने बहुत अधिक भरोसा किया है, इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा है: (कासिंका ट्रेडिंग मामला [कासिंका ट्रेडिंग बनाम भारत संघ, (1995) 1 एससीसी 274], एससीसी पृष्ठ 287 - 88, पैरा 21)*

"21. अधिनियम के तहत शुल्क, अतिरिक्त शुल्क आदि के भुगतान से छूट देने का अधिकार, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों से आता है। छूट देने के अधिकार में उसे संशोधित करने या वापस लेने का

अधिकार भी शामिल है। अधिनियम के तहत सीमा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कर योग्य घटना घटित होती है। फिर वे माल की प्रविष्टि की तिथि पर प्रचलित शुल्क के भुगतान के अधीन है। अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी कोई छूट अधिसूचना में सीमा शुल्क के संग्रह को निलंबित करने का प्रभाव था। यह उन वस्तुओं को जिन पर सीमा शुल्क आदि को लगाया जाना है ऐसे शुल्क के दायरे में नहीं आने वाली वस्तुएं नहीं बनाता है। यह केवल सीमा शुल्क आदि की उद्ग्रहण एवं संग्रहण को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करता है और ऐसी शर्तों के अधीन होता है जो सरकार द्वारा "जनहित" में अधिसूचना में निर्धारित की जा सकती हैं। ऐसी छूट अपनी प्रकृति से ही रद्द होने या संशोधित होने या अन्य शर्तों के अधीन होने योग्य है। "जनहित" में छूट अधिसूचना का अधिक्रमण या प्रतिसंहरण विधि के तहत राज्य की वैधानिक शक्ति का एक प्रयोग है जैसा कि अधिनियम की धारा 25 की भाषा से स्पष्ट है। सामान्य खंड अधिनियम के तहत एक प्राधिकारी जिसके पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, निस्संदेह उसके पास अधिसूचना को उसी तरीके से रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति है।"

(जोर दिया गया)

*****

18. यह देखा गया है कि जनहित में छूट वापस लेना नीतिगत मामला है और न्यायालय आने वाले समय में सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों हेतु बाध्य नहीं करेंगी, भले ही सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि सार्वजनिक हित के लिए नीति में बदलाव आवश्यक है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, जहां सरकार जनहित में कार्य करती है और न ही किसी धोखाधड़ी या प्रामाणिकता की कमी का आरोप लगाया जाता है, तो इस न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अंततः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि छूट वापस लेना जनहित में था तथा इसलिए, याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

*****

23. महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज [राजस्थान राज्य बनाम महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज, (1999) 4 एससीसी 357] में इस न्यायालय की एक व तीन - न्यायमूर्तियों की न्यायपीठ ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड मामले में [श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 3 एससीसी 193], यह न्यायालय उस अधिसूचना की वैधता के संबंध में आक्षेपित मामले पर विचार कर रहा था जिसमें पिछली अधिसूचना के तहत बिजली बिल की कुल राशि पर दी गई पहाड़ी क्षेत्र विकास छूट की 33.33% छूट वापस ले ली गई थी।

इसी तरह की चुनौती पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा: (श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड मामला [श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम उ.प्र राज्य, (2011) 3 एससीसी 193], एससीसी पृष्ठ 207, पैरा 33)

'33. *आम तौर पर, वचन विबंध का सिद्धांत सरकार के खिलाफ लागू किया जा रहा है और कार्यकारी आवश्यकता के आधार पर बचाव को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।* ***हालांकि, यदि सरकार द्वारा यह दर्शाया जा सकता है कि बाद में सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को उसके द्वारा किए गए वादे पर रोक लगाना असमान होगा, तो न्यायालय वादा करने वाले के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं उठाएगी और उसे लागू नहीं करेगी। सरकार के खिलाफ वादा जहां लोकहित की आवश्यकता हो, वहां वचन विबंध के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार सार्वजनिक हित में नीति को बदल सकती है।*** *हालांकि, यह सुस्थापित है कि इस सिद्धांत से संकेत लेते हुए, प्राधिकरण को ऐसा कुछ करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है जो विधि द्वारा स्वीकार्य नहीं है या विधि द्वारा निषिद्ध है।"*

(जोर दिया गया)

76. वचन विबंध के संबंध में विधि को कासिंका ट्रेडिंग बनाम भारत संघ, **(1995) 1 एससीसी 274** मामले में भी निम्नलिखित तरीके से संक्षेपित किया गया है:-

> **"12.** ***हमारी राय में, वचन विबंध के सिद्धांत को संक्षेप में लागू नहीं किया जा सकता है तथा न्यायालय प्राप्त किए जाने वाले परिणामों और बड़े स्तर पर जनता की भलाई सहित सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु बाध्य है क्योंकि सिद्धांत की उपयुक्तता पर विचार करते समय, न्यायालयों को समानता का काम करना होगा और सिद्धांत की उपयुक्तता पर विचार करते समय, समानता के मौलिक सिद्धांत हमेशा न्यायालय को स्मरण रखना चाहिए।*** *सिद्धांत को तब सामने आना चाहिए जब समानता की मांग हो, यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाया जा सके कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके वादे, आश्वासन या प्रतिनिधित्व पर रोक लगाना अनुचित होगा।*
>
> ***13. वचन विबंध के सिद्धांत का दायरा, सीमा एवं आयाम इस देश में भारत संघ बनाम इन्डो - अफगान एजेंसीज लिमिटेड [(1968) 2 एससीआर 366 : एआईआर 1968 एससी 718] से शुरू होने वाले इस न्यायालय के क्रमिक निर्णयों के माध्यम से एक सदी की अंतिम तिमाही में विकसित हुआ है इस संबंध में सेंचुरी एसपीजी एंड एमएफजी कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद [(1970) 1 एससीसी 582: (1970) 3 एससीआर***

854] ; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उ.प्र. राज्य [(1979) 2 एससीसी 409 : 1979 एससीसी (कर) 144 : (1979) 2 एससीआर 641] ; जीत राम शिव कुमार बनाम हरियाणा राज्य [(1981) 1 एससीसी 11 : (1980) 3 एससीआर 689] ; भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड [(1985) 4 एससीसी 369 : 1986 एससीसी (कर) 11] ; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम) (प्र) लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1985) 1 एससीसी 641 : 1985 एससीसी (कर) 121] ; पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम केरल राज्य [1986 पूरक एससीसी 728 : 1987 एससीसी (कर) 134] ; श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम गुजरात राज्य [(1987) 1 एससीसी 31 : 1987 एससीसी (कर) 74 : (1987) 1 एससीआर 185] ; सहायक सीसीटी बनाम धर्मेंद्र ट्रेडिंग कंपनी [(1988) 3 एससीसी 570 : 1988 एससीसी (कर) 432] ; अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य [(1992) 2 एससीसी 411] और भारत संघ बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन [(1993) 3 एससीसी 499 : जेटी (1993) 3 एससी 15] का संदर्भ दिया जा सकता है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड [(1985) 4 एससीसी 369 : 1986 एससीसी (कर) 11] में इस न्यायालय ने राय दी: (एससीसी पृष्ठ 388, पैरा 13)

"हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि वचन विबंध का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, इसलिए इसे तब लागू करना चाहिए जब निष्पक्षता की आवश्यकता हो; यदि सरकार या

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि घटित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व पर रोक लगाना न्याय विरुद्ध होगा, न्यायालय उस व्यक्ति के पक्ष में निष्पक्षता नहीं बढ़ाएगा जिससे वादा या प्रतिनिधित्व किया गया है और सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ वादे या प्रतिनिधित्व को लागू नहीं करेगा। ऐसे मामले में वचन विबंध का सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि तथ्यों पर, समानता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व से बाध्य रखा जाए।

14. उत्पाद शुल्क आयुक्त, उ.प्र. बनाम राम कुमार [(1976) 3 एससीसी 540 : 1976 एससीसी (कर) 360 : एआईआर 1976 एससी 2237] मामले में इस न्यायालय के चार विद्वान न्यायाधीशों ने अवलोकन किया: (एससीसी पृष्ठ 545, पैरा 19)

"यह तथ्य कि देसी शराब की बिक्री को अधिसूचना सं. एसटी-1149/एक्स-802 (33)-51 दिनांक 6-4-1959 के तहत बिक्री कर से छूट दी गई थी, यदि उसे राज्य के राजस्व के हित में ऐसा करने के लिए बाध्यता महसूस हुई, जो विकासशील समाज की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, तो यह राज्य सरकार के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम नहीं कर सकता है और उसे बिक्री पर कर लगाने से नहीं रोक सकता है। अब

निर्णयों के एक समूह द्वारा यह तय हो गया है कि सरकार के खिलाफ उसकी विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में बाधा का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है।"

*****

23. *अपीलार्थीगण इस धारणा के तहत प्रतीत होते हैं कि भले ही, बदली हुई बाजार स्थितियों में छूट जारी रखना उचित नहीं हो सकता है, फिर भी, सरकार उन्हें अतिरिक्त लाभ देने के लिए इसे जारी रखने के लिए बाध्य है। निश्चित रूप से यह वह उद्देश्य नहीं था जिसके साथ अधिसूचना जारी की गई थी।* ***"जनहित में" छूट को वापस लेना नीति का मामला है और न्यायालय आने वाले समय में सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों के लिए बाध्य नहीं करेंगी, भले ही सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि नीति में बदलाव "जन हित" में आवश्यक था। न्यायालय राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करता है जहां सरकार "जनहित" में कार्य करती है और न ही कोई धोखाधड़ी या प्रामाणिकता की कमी का आरोप लगाया जाता है। सरकार को वित्त के उपयोग के मामले में प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 25(1) के तहत छूट अधिसूचना जारी करने या संशोधित करने या वापस लेने के दौरान सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए।***

(जोर दिया गया)

77. इसलिए, यह सामने आता है कि यह न्यायालय सरकार को अपने नीतिगत निर्णय के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, यदि इसे जनहित की अति महत्वपूर्ण

चिंताओं के कारण बदला जाता है। इसके अतिरिक्त, जब जनहित की ऐसी चिंताएं राष्ट्रीय सुरक्षा में संबंधित मामलों का विरोध करती हैं तो न्यायालयों के हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है (संदर्भ: जनहित याचिका केंद्र बनाम भारत संघ, **(2016) 6 एससीसी 408;** इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार, **(2003) 4 एससीसी 579;** लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. चौधरी बनाम भारत संघ व अन्य, **2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 915;** एक्सिसकेड्स एयरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य, **2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9320;** ईएसएबी इंडिया लिमिटेड बनाम प्रवर्तन के विशेष निदेशक व अन्य, **2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 1212)**

78. याचीगण ने दावा किया है कि भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने अन्य अवसरों को छोड़ दिया है। उनका तर्क है कि सरकार द्वारा शुरू की गई नीति में अचानक बदलाव के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए, उनका दावा है कि सरकार को वचन विबंध के सिद्धांत से बाध्य होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर लाना होगा। इस तर्क को भी इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिला है, पहला, क्योंकि एक चयनित सूची घोषित होने के बाद भी नियुक्ति का दावा करने में कोई निहित अधिकार नहीं था, और दूसरा, अग्निपथ योजना के पक्ष में व्यापक जनहित के कारण भी इस न्यायालय का समर्थन नहीं मिलता है। यह न्यायालय इस निर्णय के पहले भाग में आक्षेपित

योजना के अन्य पहलुओं का पहले ही विस्तार से विश्लेषण कर चुका है और स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आक्षेपित योजना को मनमाना, अनुचित या तर्क से विहीन नहीं पाया गया है। इसके विपरीत, यह पूरी तरह से "जनहित" के दायरे में आता है। जैसा कि ऊपर दिए गए विभिन्न मामलों से पता चलता है, जन हित के लिए आवश्यक नीति में बदलाव का सामना करने पर न्यायालयों ने वचन विबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया है। इस मामले में सरकार को उनके द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से बाध्य नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, याचिकाकर्ता, जो भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं, उनके पास ऐसी भर्ती का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

79. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नौसेना में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को क्रमशः सेना और वायु सेना में सैनिकों तथा वायु सैनिकों की भर्ती के माध्यम से वरीयता प्रदान की गयी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्वान अति.महा.सा. द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि कोविड -19 महामारी के कारण, भारतीय वायु सेना में कोई भर्ती नहीं हुई थी और इसलिए, 02/2020 बैच को बैच हॉलिडे घोषित किया गया था। विद्वान अति.महा.सा. ने यह भी प्रस्तुत किया है कि कोविड -19 की शुरुआत और आगामी लॉकडाउन से पहले 02/2020 बैच के अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा पूरी हो

चुकी थी और योग्यता सूची तैयार की गई थी और 02/2020 बैच के सभी अभ्यर्थी को 01/2021 बैच के रूप में माना जाएगा। विद्वान अति.महा.सा. द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि नाविकों की भर्ती, जो कि भारतीय नौसेना में प्रवेश स्तर की नियुक्ति है, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की तुलना में बहुत कम है। विद्वान अति.महा.सा. द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय नौसेना के नाविकों की कुल संख्या लगभग 60,000 है और कोविड - 19 महामारी के कारण भारतीय नौसेना में लगभग 12,500 नाविकों के कर्मचारीवृंद की कमी है। विद्वान अति.महा.सा. ने आगे कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण 2020 में भारतीय नौसेना में 16.5% नाविकों की कमी हुई है और भारतीय नौसेना में नाविकों की भर्ती नहीं करने से स्थिति और खराब हो जाएगी। परिणामस्वरूप, भारतीय नौसेना को राष्ट्रीय हित में अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रखनी पड़ी। विद्वान अति.महा.सा. द्वारा दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं मिला कि यदि भारतीय नौसेना भर्ती जारी रख सकती है तो भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना भी ऐसा कर सकती है।

80. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि नियमित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले याचीगण को उन व्यक्तियों के समान रखा जाना चाहिए जिन्हें रैलियों के माध्यम से भर्ती किया गया था, इसमें भी कोई बल नहीं है। रैली भर्ती

भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना दोनों के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में और अलग-अलग स्तर पर आयोजित की गई थी।

81. भारतीय सेना के संबंध में, रैली भर्ती सशस्त्र बलों में आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी ताकि जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखा जा सके, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर रैलियां आयोजित की गई। सेना भर्ती कार्यालयों (एआरओ) द्वारा आयोजित भर्ती रैलियों का विवरण देने वाला एक चार्ट विद्वान अति.महा.सा. द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शाता है कि कोविड - 19 महामारी के दौरान रैलियां भर्ती एआरओ लुधियाना, खन्ना में दिनांक 07.12.2020 से 22.12.2020 तक; एआरओ लैंसडाउन, कोटद्वार में दिनांक 20.12.2020 से 02.01.2021 तक; एआरओ सिलचर, अगरतला में दिनांक 12.01.2021 से 20.01.2021 तक और एआरओ सिलीगुड़ी, सेवोक रोड मिल स्टेशन में दिनांक 13.01.2021 से 21.01.2021 तक आयोजित की गई थी। उक्त चार्ट से पता चलता है कि आयोजित की जाने वाली 47 रैलियों में से केवल चार रैलियां दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच आयोजित की जा सकीं, जबकि महामारी से पहले पूरे वर्ष में लगभग 80 रैलियां आयोजित की गई थीं। जैसा कि विद्वान अति.महा.सा ने बताया, लिखित परीक्षा के माध्यम से सैनिकों की भर्ती की विधि और रैलियों के माध्यम से सैनिकों की भर्ती की विधि अलग-

अलग है और दोनों प्रक्रियाओं में लगने वाला समय भी अलग-अलग है; जबकि रैलियां भर्ती का एक फास्ट-ट्रैक तरीका है, भर्ती का नियमित तरीका बहुआयामी था और विशेषकर महामारी के दौरान इसमें अधिक समय लगा। जब सेना में सामान्य भर्ती प्रक्रिया समाप्त हुई, तब तक सरकार नई अग्निपथ योजना लाने का नीतिगत निर्णय ले चुकी थी।

82. इसलिए, रैली भर्ती और भर्ती की पूर्ववर्ती पद्धति में इन उल्लेखनीय अंतरों के कारण याचीगण का यह तर्क कि परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की सामान्य पद्धति का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, में कोई बल नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार को सीईई के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी की भर्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय सेना में सैनिकों की भारी कमी हो जाएगी। अनुच्छेद 14 को यह कहने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है कि सैनिकों की भर्ती दोनों प्रक्रियाओं, अर्थात् सीईई द्वारा और रैलियों का आयोजन करके की गई होगी तथा केवल एक स्रोत के माध्यम से सैनिकों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

83. इसी प्रकार, भारतीय वायु सेना के लिए भी परीक्षा मोड अर्थात् स्टार के माध्यम से भर्ती में देरी के कारण वायु सेना की भर्ती को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर रैलियां आयोजित की गई। वायु सेना में भर्ती के लिए

रैलियां जनवरी और फरवरी, 2020 तथा सितंबर से दिसंबर, 2020 के बीच आयोजित की गई।

84. स्टार आयोजित करने की भर्ती प्रक्रिया को एक चार्ट द्वारा समझाया गया है, जो निम्नानुसार है:

स्टार 01/2020 के क्रियाकलाप (प्रारम्भ में 01/2021 के लिए भर्ती तथा बाद में 02/2021 की भर्ती में परिवर्तित किया गया)			
क्रियाकलाप/कार्यक्रम	**अवधि/तिथि**	**आकड़े**	**टिप्पणियां**
01/2021 की भर्ती के लिए स्टार 01/2020 हेतु विज्ञापन का प्रकाशन	21 दिसंबर 2019	----	3770 नामांकन रिक्तियों सहित जनवरी 2021 के पाठ्यक्रम हेतु योजना बनाई गई
01/2021 की भर्ती के लिए स्टार 01/2020 हेतु पंजीकरण	02 जनवरी से 20 जनवरी 20	444888	लिखित परीक्षा 75 शहरों के 260 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है।
अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए गए	--	443451	

स्टार 01/2020 को भर्ती करने की योजना बनाई गई 01/2021 में प्रवेश करें	19 मार्च से 23 मार्च 20	--	01/2021 की भर्ती हेतु स्टार 01/2020 का आयोजन कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 में नहीं किया जा सका और अगस्त 2020 तक स्थगित कर दिया गया।
01/2021 की भर्ती के लिए स्टार 01/2020 को संचालित करने की योजना बनाई गई	22 अगस्त से 26 अगस्त 20	--	गृह मंत्रालय द्वारा बड़ी सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अगस्त 2020 में 01/2021 की भर्ती हेतु स्टार 01/2020 आयोजित नहीं किया जा सका।
स्टार 02/2020 को संचालित करने की योजना बनाई गई	सितंबर 2020	--	लंबे समय तक अनिश्चितता के कारण लॉकडाउन प्रतिबंधों और अखिल भारतीय स्तर की स्टार परीक्षा आयोजित करने की दूरस्थ संभावना के कारण, स्टार 02/2020 **रद्द कर दिया गया था।**

स्टार 01/2020 का 01/20212 की भर्ती से 02/2021 में स्थानांतरित करना	09 अक्टूबर 20 (शुद्धिपत्र)	--	21 दिसंबर 2019 को प्रकाशित विज्ञापन के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था जिसमें स्टार 01/2020 चरण- I परीक्षा के लिए नई अनुसूची और 01/2021 की भर्ती के स्थान पर 02/2021 की भर्ती हेतु स्टार 01/2020 पर विचार किया गया था।
02/2021 की भर्ती के लिए स्टार ऑनलाइन परीक्षा (चरण-I)	04 नवंबर से 08 नवंबर 20	295155	
चरण-I परीक्षा में उत्तीर्ण	--	27256	
चरण-II के लिए चयनित अभ्यर्थी	--	17323	
एएससी में चरण-II (भौतिक अनुकूलन क्षमता परीक्षण)	11 जनवरी से 25 जनवरी 21	16002	

चरण-II में अनुशंसित अभ्यर्थी	--	9883	
चिकित्सा में अनुशंसित अभ्यर्थी	--	8065	
पीएसएल में अभ्यर्थी की संख्या	31 मई 21 (पीएसएल प्रकाशन तिथि)	10810	
नामांकन रोक दिया गया	23 जुलाई 21	--	भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना

85. उपरोक्त चार्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 31.05.2021 को जब परिणाम प्रकाशित हुए तब तक अग्निपथ योजना पहले से ही अस्तित्व में थी। भारतीय सेना की तरह इस समय तक रैली भर्ती जो जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक छोटी विधि है पहले ही संपन्न हो चुकी थी। इसलिए भारतीय सेना की तरह याचीगण भी केवल इसलिए नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनके समकक्षों की भर्ती रैलियों के माध्यम से की गई है।

इसके अतिरिक्त, यह कहना उचित होगा कि किसी ने भी याचीगण को रैलियों में भाग लेने और भारतीय सेना या वायु सेना में रोजगार प्राप्त करने से नहीं रोका।

86. सुनवाई के दौरान याचीगण ने यह भी तर्क देने की कोशिश की कि रैलियों के माध्यम से सशस्त्र बलों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने का घोषित उद्देश्य गलत है क्योंकि ऐसी रैलियां दिल्ली और भोपाल में भी आयोजित की गई थीं। यह तर्क भी इस न्यायालय के पक्ष में नहीं है क्योंकि हम रैली भर्ती द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बारे में अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। महामारी के दौरान, हमें अभूतपूर्व और अनिश्चित समय का सामना करना पड़ा। ऐसे अभूतपूर्व समय में यह आवश्यक हो गया था कि जनहित में कुछ निर्णय लिए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सशस्त्र बल बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। यह ऐसे जनहित में है कि शहरों में कुछ ही रैलियां आयोजित की गईं। इसका अर्थ यह नहीं है कि रैलियों का उद्देश्य जो कि जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना है उसे सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था। यह न्यायालय सरकार के इस निर्णय में कोई दोष नहीं पाता है, जो सद्भाव के साथ और व्यापक जनहित में लिया गया था।

87. हमने समानता के दो सिद्धांतों की उत्पत्ति और उनकी उपयुक्तता को नियंत्रित करने वाले न्यायशास्त्र को ध्यान में रखा है। हमें भी ऐसे ही तथ्यों के

साथ कुछ मामलों से गुजरने का अवसर मिला है; जिसमें एक भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। यह उभर कर सामने आता है कि सर्वप्रथम, याचीगण के पास ऐसी भर्ती की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, और दूसरा, यह वचन-बंधन और विधिसम्मत अपेक्षा जनहित की व्यापक चिंताओं के कारण स्वयं को गंभीर रूप से प्रतिबंधित पाती है।

88. हमने अग्निपथ योजना का व्यापक अध्ययन किया है और निर्णायक रूप से कह सकते हैं कि यह योजना राष्ट्रीय हित में बनाई गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सशस्त्र बल बेहतर ढंग से सुसज्जित हों। इसके कारण, इस न्यायालय ने पाया कि याचीगण के पास यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है कि 2019 अधिसूचना और सीईई परीक्षा के तहत भर्ती को पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को भर्ती पूरी करने हेतु विवश करने के लिए मौजूदा मामले में वचन विबंध और विधिसम्मत अपेक्षा दोनों को लागू नहीं किया जा सकता है।

89. इसको ध्यान में रखते हुए, लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, सहित सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

मुख्य न्या. सतीश चंद्र शर्मा,

न्या. सुभ्रमोणियम प्रसाद

27 फरवरी, 2022

राहुल/एसएच

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*